

ISSN-0971-8397



मासिक अप
इंडिया

योजना

अगस्त 2021

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

लोक प्रशासन

प्रमुख आलेख

भारतीय प्रशासन तंत्र
प्रोफेसर श्रीकृष्ण देव राव

विशेष आलेख

शासन में ईमानदारी
मीनाक्षी गुप्ता

फोकस

भारतीय विदेश सेवा:
निरंतर उत्कृष्टता की ओर
हर्ष वी पंत



संघ सेवा आयोजना
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION



सिविल सर्विसेज़ परीक्षा की तैयारी की रणनीति

वी पलानीचामी

“सिविल सर्विसेज़ की परीक्षा मैराथन दौड़ की तरह है, जिसका मकसद जीत हासिल करना होता है।”

S


फल उम्मीदवारों की रणनीतियों में कई बातें आम होती हैं, जैसे कि कड़ी मेहनत, प्रेरणा, समय का बेहतर प्रबंधन, समर्पण, संकल्प, आत्मविश्वास, सुनियोजित तरीके से अध्ययन, सकारात्मक रखैया, धैर्य, वैकल्पिक विषयों के चुनाव और स्मार्ट तरीके से तैयारी। ये सब सिविल सर्विसेज़ परीक्षा के पहले या दूसरे चरण में सफल होने के मंत्र हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए रणनीति

सिविल सर्विसेज़ की प्रारंभिक परीक्षा शुरुआती बाधा है और इसे बेहद सावधानी के साथ पार करने की जरूरत होती है। हालांकि, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए 10 लाख से भी ज्यादा आवेदन मिलते हैं, लेकिन असली मुकाबला सिर्फ़ 20,000 से 30,000 लोगों के बीच होता है। किसी भी उम्मीदवार को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा छंटनी की प्रक्रिया है, न कि चयन प्रक्रिया।

पहले प्रयास में सिविल सर्विसेज़ में सफल होने का मंत्र

- पढ़ाई के लिए अपने हिसाब से समय-सारणी तैयार कर इसका पालन सुनिश्चित करें
- पाठ्यक्रम में शामिल सामग्री को पूरा पढ़ें और कोई भी हिस्सा न छोड़ें
- मूल स्रोतों या किताबों से बेहतर नोट्स बनाएं
- ज्ञान और जानकारी के स्तर को और बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की किताबों से संबंधित विषयों की बुनियादी जानकारी हासिल करें
- परीक्षा के दृष्टिकोण से अवधारणा और तथ्यों को समझें और उनका इस्तेमाल करें
- पिछले साल के सवालों को देखें और उनका विश्लेषण करें
- अलग-अलग अध्यायों और विषयों के आधार पर मॉक टेस्ट का अभ्यास करना जरूरी है। इससे आपको असली परीक्षा का अहसास मिलेगा और खुद को सुधारने में भी मदद मिलेगी



वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

प्रभारी उत्पादन अधिकारी : संजय कुमार पांडेय
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवन मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही इस्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में कूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-53 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रतः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपाने के लिए संपर्क करें-

अभियंक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

सिविल सर्विसेज परीक्षा की
तैयारी की रणनीति

वी पलानीचामी कवर-2

प्रमुख आलेख

भारतीय प्रशासन तंत्र

प्रोफेसर श्रीकृष्ण देव राव 6



प्रशासनिक सेवाओं से मिलती गति

डॉ सुभाष शर्मा 12

विशेष आलेख

शासन में ईमानदारी

मीनाक्षी गुप्ता 16

सामाजिक बदलाव के लिये लोक प्रशासन

डॉ एम आर श्रीनिवास मूर्ति 20

फोकस

भारतीय विदेश सेवा:

निरंतर उत्कृष्टता की ओर

हर्ष वी पंत 26



लोक सेवाओं में सुधार

समीरा सौरभ 30

कोरोना महामारी के सबक

डॉ राकेश कुमार 36



कैच द रेन - एक प्रगतिशील अभियान
करिश्मा शर्मा 40

मानव विकास की शक्ति
देविका चावला 45

लोक प्रशासन : भर्ती और प्रशिक्षण
के मूल प्रश्न
प्रेमपाल शर्मा 50



टोक्यो ओलंपिक 54

आजादी का अमृत महोत्सव

पुस्तक चर्चा

1947-द स्टरी ऑफ रिहैबिलिटेशन 57

नियमित स्तंभ

क्या आप जानते हैं?

ईडियन सार्स-कोव-2

जीनोमिक्स कंसोर्टियम 48

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 39

हिन्दी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया,
पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।





आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in



हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित योजना का जुलाई 2021 अंक व्यावहारिक सामग्री, रचनात्मक विज्ञुअल ग्राफिक्स और विषयों के चयन के संदर्भ में अनुकरणीय है— यह सभी इसको एक संग्रहणीय अंक बनाते हैं।

— डॉ मनोज सोनी
सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

सेवा में,
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
सूचना भवन, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

को अपने नित्य जीवन में अपनाने पर बल दिया है। 'गांधीवाद' महात्मा गांधी के विचारों को ही कहा जाता है। गांधीवाद की अवधारणा के अनुसार, हर वह व्यक्ति गांधीवादी है, जो अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति समर्पित रहता हो; जो अहिंसक विचारधारा का समर्थक हो अर्थात् जो किसी भी माध्यम से हिंसा न करता हो; जो साहसी हो अर्थात् जो सत्य बोलने और असत्य का विरोध करने का साहस रखता हो; जो मानवतावादी व लोकतात्रिक मूल्यों का संरक्षक हो अर्थात् जो मानव सेवा व कल्याण को सर्वोपरि रखता हो; और जो बौद्धिक, विवेकशील व सहनशील हो। गांधीवाद के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के मन को अपनी वाणी से दुख पहुंचाना भी हिंसा है। गांधीवाद रामराज्य की अवधारणा से प्रभावित है। यह विचारधारा सार्वजनिक व निजी दोनों जीवन में नेतृत्व मूल्यों के अनुपालन पर बल देता है। यह आपसी विद्वेष व असहिष्णुता की भावना, धार्मिक, साम्प्रदायिक व जातीय कट्टरता का विरोध करता है और इसे सम्पूर्ण सुष्ठुपि के अस्तित्व के लिए खतरा बताता है। मनुष्य अपने समस्त दुःखों व समस्याओं से गांधीवाद को अपने जीवन में लागू कर मुक्त हो सकता है। अंत में, कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी के विचार वर्तमान में भी प्रासादिक हैं।

— सौरभ कुमार यादव
हरदोई (उत्तर प्रदेश)

राह दिखाने वाला अंक

योजना के जून अंक में पर्यावरण व स्वास्थ्य से संबंधित विविध आयामों को सुस्पष्ट तरीके से प्रकाशित किया गया है। इसमें मानव तथा पर्यावरण संबंध पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि जीवनशैली से जुड़े संकटों को दूर रखने के लिए अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही होगा। स्वास्थ्य एक प्राथमिक अधिकार है, वस्तुतः मानव अधिकारों का मुद्दा है। शिक्षा, गरीबी, जेंडर इन सब कारकों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है। अतः हमें संतुलित आहार के सेवन पर बल देना चाहिए क्योंकि वर्तमान दौर में विविध बीमारियां रासायनिक खाद्य पदार्थों व असंतुलित भोजन के सेवन से उत्पन्न हुई हैं। अतः ऐसी स्थिति में समाज को जैविक अनाज के उत्पादन पर बल देना चाहिए।

वही दूसरी ओर कोविड-19 विषाणु को लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ी है और

वे इसे गंभीर खतरे के रूप में देख रहे हैं। इस महामारी ने हमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, चिकित्सकीय, मनोस्वास्थ्य और आर्थिक तौर पर बुरी तरह से सताया है। महामारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करके और टीका लगवा कर विषाणु के फैलाव को रोका जा सकता है।


— सौरभ कुमार यादव
हरदोई (उत्तर प्रदेश)

योजना का जून, 2021 का अंक विश्लेषण के दृष्टिकोण का विकास करने वाला और संकट के वर्तमान समय में राह दिखाने वाला रहा। इस अंक के अंतर्गत डॉ सुनिता कृष्णप्रसाद ने अपने आलेख 'महामारी और गांधीवादी परिप्रेक्ष्य' के माध्यम से वर्तमान में महात्मा गांधी की प्रासादिकता को बखूबी समझाया है। उन्होंने गांधीवाद के मूल्यों

योजना के आगामी अंक


सितंबर 2021 - 'नारी शक्ति'

आज ही अपनी प्रति निकटतम पुस्तक विक्रीकारों के चल सुरक्षित कराएं।
शीघ्र आ रहा है- 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' पर केंद्रित अंक



संपादकीय

लोक प्रशासन



अधिकार और दायित्व

अ

गर मानव जाति का लक्ष्य ही स्वतंत्र रहना है तो उसको प्रशासन की क्या जरूरत है? लोक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है? क्या लोक का प्रबन्धन या उसको प्रशासित किया जाना ज़रूरी है अथवा लोक तथा समाज को स्थायित्व देने के लिए प्रशासकों की आवश्यकता है? क्या लोक प्रशासन का दायरा मात्र प्रबंधकीय संसाधनों तक सीमित है अथवा इसके साथ व्यवस्था के व्यापक मुद्दे जुड़े हैं? लोक प्रशासन पर विचार करते समय हमें इन व्यापक क्षेत्रों के बारे में भी सोचना होगा।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में संसाधनों और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण ही सभी की समृद्धि का मूल मंत्र है। इस चर्चा को सही दिशा महात्मा गांधी का प्रसिद्ध जंतर देता है। गांधीजी के शब्द हैं— “तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें सदेह हो या तुम्हारा अहं तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी अपनाओ— जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ति याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा।” लोक प्रशासन ऐसी व्यवस्था है जो सुनिश्चित करे कि जो भी कार्य सोचे या किए जा रहे हैं वे सबसे निर्धन-वर्चित व्यक्ति सहित सभी लोगों के विकास, भलाई और खुशहाली के लिए हों।

प्रशासन या प्रबंधन का कार्य मानव शरीर की कार्य-प्रणाली की तरह है। मस्तिष्क शरीर के सभी प्रमुख अंगों को काम करने और जीवित रहने के लिए सदेश भेजता है; हृदय ताजा रक्त धमनियों के जरिए शरीर के हर अंग तक पहुँचाता है; शरीर के हर अंग का अपना विशिष्ट कार्य है और हर अंग को अपने विकास और जिंदा रहने के लिए पर्याप्त पोषण चाहिए। लोक प्रशासन किसी भी सरकार के काम-काज का तंत्रिका केंद्र है जो सुनिश्चित करता है कि शरीर (यानी देश-समाज में) के सभी काम ठीक से हो रहे हैं और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो पहले से ही निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए समय रहते हस्तक्षेप कर गलती ठीक कर ली जाती है।

इस तुलना को एक अन्य तरीके से समझते हैं। अगर मस्तिष्क एक हाथ पर ज्यादा ध्यान देने लगे और दूसरे हाथ की उपेक्षा करने लगे तो उपेक्षित हाथ में लकवा हो जाएगा। इसलिए प्रशासन में निष्पक्षता का सही आधार है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए।

अब ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाए जिसका ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिकाएं थोड़ा अतिरिक्त प्रयास कर तुरंत वहां जाने से मना कर दें तो घाव में सड़न आ जाएगी। इसलिए प्रशासन से जुड़े व्यक्ति के लिए कर्तव्य और ज़िम्मेदारी का अहसास बेहद ज़रूरी है।

अगर मस्तिष्क अथवा हृदय अचानक अवकाश ले ले या बहुत थका होने या आलस की वजह से काम करना टाल दे तो शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है! इसीलिए प्रशासन के अंतर्गत आने वाली हर प्रणाली का कुशल तथा उत्पादक होना और सही समय पर अपना काम करना आवश्यक है।

एक अन्य तुलना देखिए। अगर हाथ, केवल मस्तिष्क को खुश करने के लिए ही प्लेट से अखरोट उठाए और इसके बदले में मस्तिष्क हृदय को निर्देश दे कि उस हाथ को कुछ अतिरिक्त खून पहुँचा दिया तो क्या होगा? इसी तरह भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था में असंतुलन और विकृति पैदा कर सकता है।

इसलिए, एक सक्षम प्रशासक में निष्पक्षता और श्रेष्ठतम स्तर की कार्य-कुशलता, उत्पादकता और सत्य-निष्ठा आवश्यक है। सक्षम प्रशासक बनने के लिए देश और देशवासियों के प्रति सेवाभाव होना अनिवार्य है।

‘शासन’ में ‘प्र’ उपर्सग जोड़ने से ‘प्रशासन’ शब्द बनता है। ‘प्र’ उपर्सग किसी शब्द को अधिक सशक्त बनाता है। इसलिए, ‘प्रशासन’, ‘शासन’ को ज्यादा कारगर बनाता है। ‘शासन’ (सरकार) की नीतियों पर कारगर तरीके से अमल ‘प्रशासन’ ही कराता है।

पीटर पार्कर का प्रसिद्ध कथन— “अधिक शक्ति या सत्ता के साथ अधिक ज़िम्मेदारी भी आती है” — अक्सर उद्धृत किया जाता है। सत्ता और अधिकारों वाले पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए यह कथन हमेशा प्रासारिंग करहे गए। ‘योजना’ के इस अंक में लोक प्रशासन के विविध पक्षों - इसकी क्षमताओं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और लोक सेवाओं में सुधारों के अगले स्तर के बारे में चर्चा की गई है। ■

भारतीय प्रशासन तंत्र

प्रोफेसर श्रीकृष्ण देव राव

ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही देश के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ है जो सरकार की स्थायी कार्यकारिणी शाखा भी है। भारत अनेक प्राचीन सभ्यताओं की भूमि रहा है और यहां बहुत पहले ही जन-प्रशासन की कला और उसका विज्ञान विकसित किए गए थे। ऐतिहासिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में लोक-प्रशासन का उल्लेख कौटिल्य रचित 'अर्थशास्त्र' में किया गया है। इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण दौर में भारत में गुप्तकाल का समय आया जिसे इतिहासकार 'स्वर्णिम काल' की संज्ञा भी देते हैं। 'भारतीय ब्यूरोक्रेसी (अफसरशाही तंत्र) के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य' पर चर्चा भारत में सिविल सेवाओं के इतिहास के अवलोकन से शुरू होती है। इस लेख के दूसरे भाग में सिविल सेवाओं में भर्ती हुए उन शुरुआती भारतीयों की बात शामिल की गई है जो संस्थागत मूल्यों और प्रतिबद्धता के प्रति अडिग आस्था रखते हैं। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 310, 311 और 312 के अंतर्गत इन सेवाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप और अकारण परेशान करने की प्रवृत्ति से बचाव की व्यवस्था की गई है। इस बारे में लेख के तीसरे भाग में चर्चा की गई है जिसमें संविधान और सिविल सेवा का विश्लेषण किया गया है। चौथे भाग में भारतीय सिविल सेवा की अग्रणी नेतृत्व वाली भूमिका की चर्चा है और पांचवें भाग में भारतीय सिविल सेवाओं के समक्ष चुनौतियों और उनमें अपेक्षित सुधारों का उल्लेख किया गया है।



भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास

'सिविल सेवा' की मूल अवधारणा ईस्ट इंडिया कम्पनी को देश में नागरिक और सैनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सैनिकों को कॉर्डर बनाने संबंधी अधिकारी देने संबंधी नागरिक जनादेश यानी चार्टर जारी होने के साथ शुरू हुई मानी जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री दीपक गुप्ता ने अपनी पुस्तक - 'द स्टील फ्रेम : ए हिस्ट्री ऑफ द आईएएस' में टिप्पणी की है कि इन अधिकारियों को धीरे-धीरे व्यापार-अधिकारियों से प्रशासनिक अधिकारियों में परिवर्तित कर लिया गया जो 'कॉविनेन्ट्स' यानी प्रतिज्ञापत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते थे और इस प्रकार उन्हें 'कॉविनेन्टेड सिविल सेवा' का अंग बना लिया गया।¹ 'कॉविनेन्टेड' और 'अनकॉविनेन्टेड' (यानी अधीनस्थ) सेवा के बीच एक बड़ा अन्तर यह था कि 'कॉविनेन्टेड' सेवा के अधिकारियों की भर्ती इंलैंड से की जाती थी जबकि अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी भारत से ही होते थे। इसी 'अनकॉविनेन्टेड' सेवा को बाद में भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) का नाम दिया गया और इन अधिकारियों का दायित्व महाराजी की ओर से यहाँ के मामलों को सभालना और निपटाना था। वे सिविल सेवाएं बाद में 'स्टील फ्रेम' नाम से जानी गईं जो पहले विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण बनाये



19वीं शताब्दी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत किसी की सिफारिश या संदर्भ के आधार पर अधिकारी रखने की जगह प्रतियोगी परीक्षा लेकर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था शुरू हो गई।

लोक सेवाओं में सुधार के लिए 'मैकाले कमेटी' से लेकर 'इस्लिंग्टन कमेटी' और फिर 'ली आयोग' बनाए गए थे और इन सभी ने संवैधानिक लोक सेवा आयोग गठित करने की जोरदार सिफारिश की थी।

नहीं भुला सकते जिन्होंने स्वतंत्र भारत में सिविल सेवाओं के गठन के लिए सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसीलिए उन्हें 'भारत का लौह पुरुष' कहा जाता है।

सिविल सेवाओं में आने वाले शुरुआती भारतीय

आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येन्द्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1864 में यह सफलता प्राप्त की थी। यह याद रखना भी जरूरी है कि मोन्टेंगो चैम्पसकोर्ड सुधारों के बाद 1922 तक यह परीक्षा सिर्फ लन्दन में ली जाती थी जिसकी वजह से भारतीय लोगों को परीक्षा देने के लिए वहाँ जाने की परेशानी झेलनी पड़ती थी और आम भारतीय के लिए तो यह बूते से बाहर ही था। फिर भी परीक्षा पास करने वालों में भारतीयों की संख्या अच्छी-खासी थी। इनमें प्रमुख नाम हैं बिहारी लाल गुप्ता और रोमेश चंद्र दत्त जो आगे चलकर 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने 'द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' पुस्तक भी लिखी जो इस विषय की शुरुआती पुस्तक मानी जाती है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास तो कर ली थी लेकिन उन्होंने इस सेवा के तहत काम करने से इंकार कर दिया जिससे उनके सैद्धांतिक मूल्यों और निश्च का पता चलता है और यह फैसला उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिया था। सर बेनेगल नरसिंग राव एक अन्य आईसीएस अधिकारी थे जिन्हें भारत के स्वतंत्र होने से एक वर्ष से कुछ ज्यादा समय पहले 1 जुलाई, 1946 को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। वे आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज (न्यायाधीश) बने।

सिविल सेवा में शुरू में शामिल होने वाले कुछ भारतीय अधिकारियों ने समय की मांग के अनुरूप भूमिका निभाई और भारत में लोकतंत्र को उसके सही रूप और सच्ची भावना में सशक्त बनाने

रखने का दायित्व निभा रही थीं।

19वीं शताब्दी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत किसी की सिफारिश या संदर्भ के आधार पर अधिकारी रखने की जगह प्रतियोगी परीक्षा लेकर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था शुरू हो गई।

लोक सेवाओं में सुधार के लिए 'मैकाले कमेटी' से लेकर 'इस्लिंग्टन कमेटी' और फिर 'ली आयोग' बनाए गए थे और इन सभी ने संवैधानिक लोक सेवा आयोग गठित करने की जोरदार सिफारिश की थी।

संविधान सभा की बहसों के दौरान भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को बनाए रखने पर तथा उनकी भूमिका और निष्ठा पर विस्तार से चर्चा और बहस की गई और यह चर्चा भी हुई कि क्या स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था लागू रखना बुद्धिमानी होगी।

हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को

सिविल सेवाओं में आने वाले शुरुआती भारतीय

आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येन्द्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1864 में यह सफलता प्राप्त की थी। यह याद रखना भी जरूरी है कि मोन्टेंगो चैम्पसकोर्ड सुधारों के बाद 1922 तक यह परीक्षा सिर्फ लन्दन में ली जाती थी जिसकी वजह से भारतीय लोगों को परीक्षा देने के लिए वहाँ जाने की परेशानी झेलनी पड़ती थी और आम भारतीय के लिए तो यह बूते से बाहर ही था। फिर भी परीक्षा पास करने वालों में भारतीयों की संख्या अच्छी-खासी थी। इनमें प्रमुख नाम हैं बिहारी लाल गुप्ता और रोमेश चंद्र दत्त जो आगे चलकर 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने 'द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' पुस्तक भी लिखी जो इस विषय की शुरुआती पुस्तक मानी जाती है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास तो कर ली थी लेकिन उन्होंने इस सेवा के तहत काम करने से इंकार कर दिया जिससे उनके सैद्धांतिक मूल्यों और निश्च का पता चलता है और यह फैसला उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिया था। सर बेनेगल नरसिंग राव एक अन्य आईसीएस अधिकारी थे जिन्हें भारत के स्वतंत्र होने से एक वर्ष से कुछ ज्यादा समय पहले 1 जुलाई, 1946 को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। वे आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज (न्यायाधीश) बने।

सिविल सेवा में शुरू में शामिल होने वाले कुछ भारतीय अधिकारियों ने समय की मांग के अनुरूप भूमिका निभाई और भारत में लोकतंत्र को उसके सही रूप और सच्ची भावना में सशक्त बनाने

लेखक दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं।

ईमेल: vc@nludelhi.ac.in



सत्येन्द्र नाथ टैगोर



रमेश चन्द्र दत्त



बी एन राब

के उद्देश्य से अडिग संस्थागत मूल्यों, तौर-तरीकों और प्रणालियों में दृढ़ आस्था का परिचय दिया। इनमें भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन का नाम भी प्रमुख है जो बाद में सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने।

भारत में सिविल सेवाओं की सफलता का बड़ा श्रेय कैरियर ब्यूरोक्रेट्स को जाता है क्यों कि वे भ्रष्टाचार और लोभ लालच में न पड़कर निष्पक्षता से सेवा भाव से कार्य करते हैं। 'एकता में बल है' और 'भाईचारा तथा सौहार्द' ही सिविल सेवाओं के अधिकारियों के मूलमंत्र हैं। ये अधिकारी अपने अधीनस्थों को नीचा दिखाने जैसा काम नहीं करते बल्कि उनमें विश्वास का भाव जगाने की शैली अपनाते हैं तथा अपने बैचों के अधिकारियों से निकटता और अपनापन बढ़ाकर प्रतीकूल परिस्थितियों से निपटते हैं।

संविधान और सिविल सेवाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310, 311 और 312 केन्द्र और राज्य के अंतर्गत सेवाओं के बारे में हैं। अनुच्छेद-310 में व्यवस्था है कि केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राज्य-स्तर की सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रसन्नता बनी रहने तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। इसलिए उनका कार्यकाल सुनिश्चित और सुरक्षित रहता है। अनुच्छेद-311 में सेवा से हटाने, बर्खास्त करने और पद घटाने (अवनति करने) से जुड़ी प्रक्रियाएं और शर्तें शामिल हैं जिससे कानून की प्रक्रिया का पालन करने की पक्की व्यवस्था रहती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सिविल अधिकारी अकारण राजनैतिक हस्तक्षेप (दबाव) या परेशानी के शिकार न बनें। अनुच्छेद-312 में व्यवस्था दी गई है कि अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं।

सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने स्वतंत्र

और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन, आपदा प्रबंधन, सड़क और रेल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव तथा राष्ट्रीय एकता और अखिलता को बनाए रखने जैसी राष्ट्रीय महत्व की अनेक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है।

हर वर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है और उस दिन सिविल सेवाओं के अधिकारियों को लोगों की सेवा के प्रति समर्पण का भाव रखने और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ बढ़िया ढंग से निभाने की बात याद दिलाई जाती है।² जिलों और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रधानमंत्री के श्रेष्ठता पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

सिविल सेवाओं के अधिकारी युवाओं के आदर्श हैं

भारत में लाखों विद्यार्थी हर बक्त सिविल सेवा परीक्षा पास करने की आस लगाए रहते हैं। इन युवाओं के सिविल सेवा में आने के अपने-अपने अलग कारण हो सकते हैं पर एक बड़ा कारण किसी जाने-माने सिविल सेवा अधिकारी का अनुकरण करने की प्रबल इच्छा होती है। इसका सही और सटीक उदाहरण है 1956 के

आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येन्द्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1864 में यह सफलता प्राप्त की थी। यह याद रखना भी जरूरी है कि मोर्टेंगो चैम्ससफोर्ड सुधारों के बाद 1922 तक यह परीक्षा सिर्फ लन्दन में ली जाती थी जिसकी वजह से भारतीय लोगों को परीक्षा देने के लिए वहां जाने की परेशानी झेलनी पड़ती थी और आम भारतीय के लिए तो यह बूते से बाहर ही था। फिर भी परीक्षा पास करने वालों में भारतीयों की संख्या अच्छी-खासी थी।






सुभाष चन्द्र बोस



सुकुमार सेन



बी एन युगंधर

अकादमी के युवा प्रशिक्षुओं के मार्गदर्शन जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण ही उनका नाम आज भी सत्ता के गलियारों में अत्यत सम्मानपूर्वक लिया जाता है। एक ताजा उदाहरण के तौर पर आईएएस अधिकारी मधुलकर शेट्टी अभी कुछ वर्ष पहले हमारे बीच से सदा के लिए चले गए। लोकायुक्त के रूप में कार्यकाल के दौरान शेट्टी ने एक अन्य आईपीएस अधिकारी हर्ष गुप्ता के साथ मिलकर उन रईस किसानों का जबरदस्त विरोध किया जिन्होंने गरीब ग्रामीणों की जमीन पर जबरन कब्ज़े कर लिए थे। इन दोनों अधिकारियों ने चिकमंगलुरु के ग्रामीण लोगों की जबरन कब्जाई गई जमीनें वापिस दिलाई थीं। इनके प्रति आभार प्रकट करते हुए इन ग्रामवासियों ने समूचे गांव का नाम ही ‘गुप्ता-शेट्टी हल्ली’ रख लिया था।³

सिविल सेवाओं की चुनौतियां और सुधार

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास का सामाजिक कल्याण मॉडल अपनाया गया था जिससे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना बहुत बढ़ गई। प्रशासन तंत्र को सुचारू और गतिशील बनाने के लिए व्यवहारिक सोच रखना और समानता तथा सम्भाव पर आधारित नीति पर चलना होता है। जनता की सेवा के लिए नियुक्त अधिकारियों को राजनीतिक मेलजोल या गठजोड़ अथवा राजनीतिक संबंध नहीं रखने चाहिए बल्कि बिना पक्षपात किए निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

उनके लिए सविधान सर्वोपरि होता है इसलिए उन्हें हरदम सविधान की परिधि में रहकर काम करना चाहिए। लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सिविल सेवाओं के अधिकारियों को बहुत ज्यादा अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं, ऐसे में नैतिक बल के आधार पर ही सुशासन स्थापित किया जा सकता है।

अनेक समितियों ने सिविल सेवाओं में भर्ती, कार्यकाल के दौरान समय-समय पर

प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत, दक्षता और जबाबदेही आदि के बारे में बदलाव और सुधार के सुझाव दिए हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले) में खामियों का उल्लेख करते हुए भर्ती, कामकाज की प्रगति, और परिणामोन्मुख प्रशासन-तंत्र विकसित करने के सुझाव रखे गए थे।

पिछले दशक में कई सुधार लागू किए गए हैं। इनमें विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त सचिव स्तर पर सीधी भर्ती करना, सिविल सेवा अधिकारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर ट्रेनिंग की व्यवस्था करना और कार्य-प्रगति की आकलन रिपोर्ट तैयार करना शामिल हैं।

हमारे देश के लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों से बेहतर प्रशासन और जबाबदेह व्यवस्था की अपेक्षा है। सूचना का अधिकार कानून, 2005 जैसे विधेयक आने से नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने के नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित कर दी गई हैं जिससे प्रशासन व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और जबाबदेही आई है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा शुरू की गई ‘सिटिजन्स चार्टर’ यानी नागरिक अधिकार पत्र

व्यवस्था के अंतर्गत ‘लोगों की अपेक्षा के अनुरूप सेवा मानक और समय-सीमाएं तय की जानी चाहिए जो उचित और व्यवहारिक हों और इनमें शिकायतों की सुनवाई और उनके निवारण तथा स्वतंत्र जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर, नागरिक और उपभोक्ता भी इनमें शामिल किए जाने चाहिए।⁴ इसमें विज्ञन और मिशन का वितरण शामिल है जिससे यह पक्का हो जाता है कि उपयोगकर्ता की जरूरतों और शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

ब्यूरोक्रेसी और खासकर प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हाल में शुरू हुई बहस ‘सभी कार्य कर सकने वाले’ (Generalists) और ‘विशेषज्ञ’ (Specialists) अधिकारियों की तुलना पर उठी है। प्रशासक की भूमिका अपनी यूनिट में कामकाज निष्पक्ष, समानता पर आधारित

सिविल सेवा में शुरू में शामिल होने वाले कुछ भारतीय अधिकारियों ने समय की मांग के अनुरूप भूमिका निर्भाई और भारत में लोकतंत्र को उसके सही रूप और सच्ची भावना में सशक्त बनाने के उद्देश्य से अडिंग संस्थागत मूल्यों, तौर-तरीकों और प्रणालियों में दृढ़ आस्था का परिचय दिया। इनमें भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन का नाम भी प्रमुख है जो बाद में सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने।

और कुशलतापूर्वक सुनिश्चित करने की है और उपडिवीजन और जिले से लेकर राज्य और केन्द्र के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों तक यही व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसलिए जनशिकायतें सुनकर शीघ्र ही कुशलतापूर्वक उनका समाधान करने के बास्ते जरूरी है कि प्रशासनिक अधिकारी को विभिन्न मुददों, विभागों, नियमों और दायित्वों की अच्छी जानकारी हो। इसलिए स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा आदि विविध क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों के प्रभावी एवं तत्काल समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारी को सभी विभागों की संतुलित जानकारी होना जरूरी है न कि किसी क्षेत्र की विशेषज्ञ जानकारी मात्र होना।

कहा तो यह भी जाता है कि प्रशासन की योग्यता अपने-आप में एक बड़ी विशेषज्ञता है। फिर भी, उच्च स्तर पर पहुंचकर विशेषज्ञ जानकारी अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता, रुचि और अनुभव ही आधार बन सकते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण कहीं हमारे नीतिगत सुधार न पिछड़ जाएं।

आईआईटी, आईआईएम एनएलयू के नए ग्रेजुएट और डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि भी हर वर्ष यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं। इससे ब्यूरोक्रेसी में नई ऊर्जा और सोच आई है। ये लोग अपनी व्यवसायिक योग्यता और विशेषज्ञ जानकारी से प्रशासनिक सेवाओं को और सशक्त बना रहे हैं। कहा जा सकता है कि यह लोग देश के प्रशासन तंत्र में क्रांतिकारी सुधार ला रहे हैं।

पिछले कुछ दशकों में मैं ऐसे कई सिविल सेवा अधिकारियों से

मिला जिन्होंने देश की प्रगति और उन्नति में जबरदस्त योगदान किया है। उनके कार्य को बारीकी से देखकर मुझे यह समझ आया कि वकील किसी भी सिविल सेवा में कुशलता से काम करने में सफल हो सकते हैं। लॉ कॉलेजों में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कला, बाकपटुता, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि के जरिये उन्हें निपुण बना देते हैं और ड्राफ्ट लिखने की कला भी भली प्रकार सीख लेते हैं। उनमें समग्र सोच विकसित हो जाती है। इनके साथ ही, लॉ कॉलेज संवैधानिक मूल्यों और नीतिक सिद्धान्तों की भी शिक्षा देते हैं जो कैरियर ब्यूरोक्रेट के लिए बेहद उपयोगी होती है।

उदाहरण के लिए, दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य लॉ कॉलेजों के विद्यार्थी पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में सिविल सेवाओं के लिए चुने गए हैं। तभी तो विद्यार्थी अब लॉ की पढ़ाई ज्यादा पसंद करने लगे हैं।

अतः यह जरूरी है कि विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक योग्यता वाले युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रशासनिक सेवाओं में आएं और राष्ट्रनिर्माण के महान कार्य में सहयोग करें। ■

संदर्भ

- वैधानिक मान्यता चार्टर एक्ट, 1793 में मिली।
- 1947 में भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार पटेल ने इस दिन नई दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में आईएस प्रोवेशनरों को संबोधित किया था। विवरण: <https://darpg.gov.in/relatedlinks/civil-services-day> पर उपलब्ध है।
- कन्नड़ भाषा में गांव को 'हल्ली' कहते हैं।
- विवरण <https://darpg.gov.in/citizens-charters-historical-background> पर उपलब्ध है।

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध



भारत 2021

भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्य: प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेजॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें: फोन : 011-24367260 ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

टिप्पेट पर क्लिक करें @DPD_India

प्रशासनिक सेवाओं से मिलती गति

डॉ सुभाष शर्मा


अठारहवीं शताब्दी में जब यूरोप में नवजागरण की लहर आई तो मुख्य फोकस तर्क और विवेक पर दिया जा रहा था। जाने-माने विचारक इमानुएल कांत के अनुसार नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धान्त तार्किकता का ही मानक है, अतः विवेकपूर्वक तर्क को ध्यान में रखकर वैश्विक नैतिक नियम के अनुरूप कार्य करना चाहिए। एक अन्य विख्यात विचारक रेने डे काट कहते हैं कि “मेरा अस्तित्व इसलिए है कि मैं विचार कर सकता हूँ” अर्थात् व्यक्ति का अस्तित्व उसकी तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच पर निर्भर है न कि भावनाओं, व्यक्तिगत निष्ठाओं या पक्षपातपूर्ण विचार पर। मैक्स वेबर (1864-1920) पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने ‘अफसरशाही’ अथवा ‘नौकरशाही’ शब्द की रचना की और इसे विस्तार से समझाया भी।

आ

धूनिक काल से पहले सत्रहवीं शताब्दी के दौर तक हर कबीले का मुखिया उनका सरदार होता था और थोड़ी प्रगति हुई तो एक स्थानीय ‘मालिक’ लोगों पर हुक्म चलाता था तथा फिर राजशाही का सिलसिला शुरू हो गया जिसके तहत एक शासक या सप्राट पूर्व परम्पराओं के अनुसार शासन करता था और उसकी सत्ता उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती थी। जन-जागरण आने के साथ ही आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई जिसमें लोगों द्वारा चुने गए ‘प्रतिनिधि’ सत्ता में आ गए और शासन संभालने लगे (स्वयं ‘लोग’ शासन नहीं संभालते, जैसी कि स्विटजरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत ऐसी व्यवस्था है।) इसीलिए दैनिक प्रशासन कार्य में जाति, वर्ग, नस्ल, लिंगभेद, भाषा अथवा जन्म-स्थान आदि का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव रखे बिना यथार्थ और वास्तविक स्थिति के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। मैक्स वेबर ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सत्ता को तीन वर्गों में विभाजित किया— परम्परागत सत्ता (उत्तराधिकार, रीति रिवाज़ों, भौतिक इच्छाओं आदि पर आधारित); प्रतिभागत सत्ता (जन्मजात प्रतिभा और गुणों पर आधारित) जैसी स्वामी विवेकानन्द, भगवान राम आदि में थी; और तर्कसंगत वैध सत्ता यानी अफसरशाही या नौकरशाही वास्तविकता और तर्क पर आधारित होने के कारण यही शासन-व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। उन्होंने परिभाषित किया कि ‘अफसरशाही’ ऐसा ‘औपचारिक संगठन’ है जिसमें नीचे बताई विशेषताएं होती हैं:-

१. औपचारिक चयन और पदोन्नति जो सुस्पष्ट मानकों और मानदंडों पर और मुख्यतया योग्यता (मेरिट) और पारदर्शिता पर आधारित हो।

२. लिखित नियम, विनियम प्रक्रियाएं और तौर-तरीके हों ताकि किसी तरह के भेदभाव या व्यक्तिगत पसन्द-नापसन्द से किसी का समर्थन या विरोध न होने पाए।
३. परम्परागत संगठन-वरिष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ वर्गों का स्पष्ट निर्धारण ताकि जहां एक ओर वरिष्ठ लोग अपने कनिष्ठ या अधीनस्थ सहयोगियों के कार्य का निरीक्षण, आकलन और निगरानी कर सकें और उन्हें दिशानिर्देश दे सकें और साथ ही कनिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपील या पुनर्विचार आवेदनों की सुनवाई हो सके; और फिर, निचले स्तर वाले सहयोगियों की फीडबैक से नियमों/प्रक्रियाओं/मानदंडों/मानकों में समुचित बदलाव हो सके।
४. विशेषज्ञता और श्रम तथा दायित्वों का निर्धारण- कार्य वहन, अधिकारों के विभाजन (इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध जवरन) और दायित्व के बीच स्पष्ट संतुलन।



5. व्यावसायिक योग्यता को व्यक्तिगत जिद् से न दबाया जाए।

6. कैरियर (भविष्य) को ध्यान में रखना-अफसरशाही मूल रूप से स्थायी व्यवस्था है- लम्बे असें तक के कार्यकाल में विभिन्न कार्यों और प्रणालियों का अनुभव मिलता है और विविध क्षेत्रों में काम करने से परिपक्वता आती है जिससे सार्वजनिक नीति तैयार करने की क्षमता और योग्यता विकसित होती है।

तभी तो मैक्स वेबर ने लोकतात्त्विक समाज में तर्कसंगत वैध शासन व्यवस्था को अन्य दो प्रकार की शासन प्रणालियों की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त माना है। सर्वप्रथम आइए देखते हैं कि भारत में अफसरशाही कैसे काम कर रही है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' के प्रत्याशियों का चयन करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये प्रत्याशी काम करना शुरू कर देते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्याशी को निदेशक पद तक पहुंचने से पहले कम से कम 14 वर्ष काम करना होता है और कम से कम 18 वर्ष की सेवा के बाद संयुक्त सचिव (भारत सरकार) के पद पर पहुंचता है जबकि सचिव (भारत सरकार) बनने से पहले कम से कम 32 वर्ष का सेवाकाल पूरा करना पड़ता है।

दूसरे, नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में ऐसे कई मामले हुए हैं जहां सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जाता और निर्धारित प्रक्रियाओं और विधियों का भी पालन नहीं होता (जबकि नियम मंत्रिमंडल द्वारा और कानून संसद/विधायी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं)।

उदाहरण के लिए, सामान्य नियम में व्यवस्था है कि अधिकारी/मंत्री केवल एयर इंडिया से ही यात्रा करें और विशेष स्थिति में वित्तीय सलाहकार (एफए) की अनुमति लेनी होती है। परन्तु एक खास मौके पर एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश जाना था और वहां अधिकारी ने एयर इंडिया से ही यात्रा करने की शर्त से छूट लेने का आवेदन किया लेकिन वित्तीय सलाहकार ने प्राइवेट एयरलाइन के विमान से यात्रा का प्रस्ताव नहीं माना। दुर्भाग्य से, वरिष्ठ अधिकारियों ने संबद्ध अधिकारी का पक्ष लिया और अंततः एफए की टिप्पणी को निरस्त कर दिया।

तीसरे, जहां तक परम्परागत व्यवस्था का सवाल है, यह व्यवस्था अधीनस्थ सहयोगियों के काम के निरीक्षण, निगरानी और दिशानिर्देश में तो उपयोगी है पर कई दफा अधीनस्थ कर्मचारी को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर फायदा पहुंचाने के लिए इन नियमों को तोड़-मरोड़ दिया जाता है। पक्की तरह स्थापित और समय की कसौटी पर खरे पाए गए नियमों का भी उल्लंघन किया जाता है जिससे व्यवस्था संबंधी कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, यहां तक कि अधीनस्थ कर्मचारी आदेश मानने भी इंकार करने लग जाता है।

व्यावसायिक कुशलता और योग्यता प्रशासनिक सेवाओं का मूल मंत्र है। इसमें चार तत्व समाहित रहते हैं: समानता, निष्पक्षता, कार्यकुशलता और गुमनाम रहना। स्थायित्व और निरन्तरता की भावना से भविष्य सुधारने के विचार से प्रशासनिक सेवाओं से समाज में संतुलन और दूरदर्शिता आते हैं। विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) में विभिन्न समुदायों, उप-संस्कृतियों, क्षेत्रों, भाषाओं इत्यादि पर आधारित 'विविधता में एकता' का समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण पूरा करने का अवसर मिलता है।

चौथे, श्रम विभाजन के बारे में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिकारों और दायित्वों के संतुलित विभाजन का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए वर्ता बिना किसी जिम्मेदारी के अधिकार मिल जाने से तानाशाही और भ्रष्टाचार पनपेंगे। लॉर्ड एक्शन ने ठीक ही कहा है, “सत्ता भ्रष्टाचार लाती है और निरंकुश सत्ता तो बेलगाम भ्रष्टाचार का कारण बनती है। दूसरी तरफ अधिकार के बिना जिम्मेदारी देने से किसी भी प्रयास में सफलता नहीं मिल पाती और विज़न और मिशन जैसे लक्ष्य कर्त्ता हासिल नहीं किए जा सकते।”

सभी नीति-निर्माताओं और प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में संशोधन करें और अपने-अपने स्तर पर सत्ता और अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण करके सबसे निचले वाले स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें।

पांचवें, व्यावसायिक कुशलता और योग्यता प्रशासनिक सेवाओं का मूल मंत्र है। इसमें चार तत्व समाहित रहते हैं: समानता, निष्पक्षता, कार्यकुशलता और गुमनामी में रहने से तात्पर्य है अकारण प्रचार और प्रोफेंडा के चक्कर में पड़े बिना चुपचाप जनहित के लिए कार्य करते रहना। जॉर्ज ऑर्वेल के सिद्धान्त—“सभी समान है लेकिन कुछ लोग ज्यादा समान होते हैं” को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जरा भी न आने दें। प्रशासनिक अधिकारी से आशा की जाती है कि सार्वजनिक कार्यों का निपटारा तुरन्त (समय-सीमा के भीतर) और मूल नियमों का उल्लंघन किए बिना किया जाए।

अंतिम यह कि स्थायित्व और निरन्तरता की भावना से भविष्य सुधारने के विचार से प्रशासनिक सेवाओं से समाज में संतुलन और दूरदर्शिता आते हैं। विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) में विभिन्न समुदायों, उप-संस्कृतियों, क्षेत्रों, भाषाओं इत्यादि पर आधारित “विविधता में एकता” का समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण पूरा करने का अवसर मिलता है। लेकिन, स्थायित्व और निरन्तरता से यह मतलब भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि परिवर्तन की सोची ही न जाए क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की भलाई और देश की समृद्धि के लिए परिवर्तन अपनाने होंगे। स्थायित्व, सुरक्षा और स्थिरता की भावना तो इसलिए होनी जरूरी है कि अधिकारी कहीं लालच या लोभवश भ्रष्ट तरीके न अपना लें। फिर भी भ्रष्टाचार तो मौजूद है ही। इसे रोकने के लिए तुरन्त कड़ी और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने 10 अक्टूबर, 1949 को सविधान सभा में प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं का पुरजोर समर्थन किया था और उनके पक्ष में नीचे लिखे तथ्य दिए थे:-

1. देशभक्ति की दृष्टि से, स्वामीभक्ति की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से और योग्यता की दृष्टि से इनका कोई विकल्प नहीं है। ये उतने ही कुशल हैं जितने हम हैं।

- मैं ब्लैक शीप यानी गद्दारें (निकम्मों) का बचाव नहीं कर रहा। पिछले दो-तीन वर्ष में इनमें से अधिकांश सेवाओं ने देशभक्ति और वफ़ादारी की भावना से काम न किया होता तो संघ (देश) ढह जाता।
- जिन साधनों से काम लेना है, उनसे मत लड़ो... प्रशासनिक सेवाएं नहीं होगी तो अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी।
- यदि आप 'कुशल अखिल भारतीय सेवा' चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि उन्हें खुलकर अपनी बात कहने का मौका दो... खुलकर, बिना किसी डर या पक्षपात के... आज मेरा सचिव नोट लिखकर मेरे विचारों से असहमति व्यक्त कर सकता है... यदि आप केवल इस भय से अपनी बात खुलकर नहीं कहना चाहते हैं कि इससे आपके मंत्री महोदय नाराज़ हो जाएंगे तो फिर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है।
- बदतमीजी करने वाले या गलत काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी को मैं कभी माफ नहीं करूँगा।
- देश में स्थिरता आने और देश के सशक्त बन जाने के बाद उन पर परिवर्तन का दबाव बनाया जा सकता है। ये लोग मान-सम्मान और आदर के लिए काम करने वाले हैं और इन्हें जनता का स्नेह मिलना ही चाहिए।

इसलिए उपरोक्त तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है और सत्ता में आने वालों को इन बुनियादी सिद्धान्तों को लागू करना ही होगा।

व्यवस्था के रोग का विश्लेषण

अधिकारियों और व्यवस्था के दैनिक व्यवहार में कई प्रकार की खामियां दिखती हैं। अफसरशाही पर अक्सर 'लालफीताशाही' (अकारण देरी करने) का आरोप लगाया जाता है और कई तरीके अपनाकर निर्णय न ले पाने का दोष भी लगाया जाता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

- कई बार उच्च (बड़े) अधिकारी फाइल में लिख देते हैं कि 'प्लीज डिस्कस' अर्थात् 'वार्ता करें' लेकिन यह नहीं लिखते कि किस तरीख को और किस समय चर्चा करनी है। ऐसे में जब संबद्ध अधिकारी बॉस के पास जाते हैं तो उक्त चर्चा हो ही नहीं पाती। इस संबंध में यह उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि एक बड़े (उच्च) अधिकारी ने मेज पर फाइलों के लिए दो ट्रे रखी थीं; (1) अभी नहीं (नॉट नाऊ) और (2) कभी नहीं (नैवर)।
- कभी-कभी किसी मामले में विधि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की विशेषज्ञ राय लेने की ज़रूरत पड़ती है (यदि नियम स्पष्ट नहीं होते और कुछ उलझन बनी रहती है) पर हमेशा ऐसा नहीं होता है।
- उच्चतम अधिकारी कई हिस्सों में और जल्दी-जल्दी प्रश्न उठाते हैं और सभी पहलुओं को जोड़कर एक बार में ही स्पष्टीकरण नहीं मांगते। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हो जाती है।
- देरी के लिए अक्सर 'बहुत काम है' का सहारा लिया जाता है, इसलिए और ज्यादा विकेन्द्रीकरण, कार्य के बेहतर वितरण और काम को 'आवश्यक', 'महत्वपूर्ण' या 'सामान्य' श्रेणियों में बांटने की सख्त ज़रूरत है।

बीमारी का दूसरा लक्षण है 'अत्यंत व्यस्त होने के कारण फोन पर बात करने या शिकायतें सुनने की फुर्सत नहीं है। इससे और भी ज्यादा देरी होती है और स्थिति बिगड़ने से अधीनस्थ सहयोगी या बिचौलिए भ्रष्ट

गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परिपक्व अनुभव पर आधारित विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को उचित ठहराया था और दूसरी ओर उन्होंने भारत के विभिन्न भागों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से संगठित और एकजुट बनाया था।

तरीके अपनाने को मजबूर कर देते हैं। नतीज़ यह होता है कि उस अधिकारी की छवि धूमिल हो जाती है और साथ बिगड़ने की बात पंख लगाकर दूर-दूर तक पहुंच जाती है।

तीसरी बीमारी है ट्रांसफर-उद्योग यानी तबादले का खौफ़। तीन वर्ष के कार्यकाल के सिद्धान्त का बहुत ही कम पालन किया जाता है और कई अधिकारी तो एक वर्ष या उससे पहले ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस कार्रवाई का कोई उचित/उपयुक्त कारण भी नहीं बताया जाता। राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड केवल औपचारिक भूमिका निभाते हैं और

उनका कार्य केवल सत्तारूढ़ लोगों या 'ऊपर' से आने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति देकर आगे बढ़ाने तक ही सीमित रहता है। असल में देखा जाए तो ईमानदारी और पारदर्शिता का लक्ष्य तो बुरी तरह पिछड़ जाता है। दूसरी ओर ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई अधिकारी नौ से दस वर्ष तक एक ही पद पर बना रहता है। ऐसा या तो राजनैतिक संबंधों और समर्थन के कारण या फिर जाति, धर्म या समुदाय आधारित कारणों से होता है। यही बजह है कि अन्य कई योग्य अधिकारी इस पद के कार्य का अनुभव ले ही नहीं पाते जबकि हर पद पर काम करने में अलग प्रकार की चुनौतियां, समस्याएं और अवसर आते हैं। और ऐसे में वहां जमकर बैठे अधिकारी में दम्भ, चालबाज़ी और अकड़ आ जाती है।

इसी प्रकार कई ऐसे पद होते हैं जहां कोई काम नहीं होता, कोई फाइल नहीं आती और न ही कोई सुविधा होती है। इन फिजूल किस्म के पदों पर ऐसे नकारा और निटल्ले अधिकारी भेजे जाते हैं जिन्हें दंड देना होता है। इस तरह इन पदों के लिए पैसे, समय और साधनों की बर्बादी होती है। पसन्दीदा पदों और फिजूल पदों पर तबादले की आड़ में भ्रष्टाचार का जाल भी फैलता रहता है।

और आखिर में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि नीतिगत फैसला कई बार इसी आधार पर ले लिया जाता है कि सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र खराब है और निजी क्षेत्र बेहतर होता है। इसी आधार पर कई कंपनियों के शेयर या फिर पूरी कंपनी को ही बेच दिया जाता है और इसे 'विनिवेश' का नाम दे दिया जाता है। फिर, विकास कार्यों की बढ़ा-चढ़ाकर खबरें देना और नुकसान की बात छुपाकर रखना भी सर्विधान की शपथ का अनादर है। दुर्भाग्य से कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करते हैं जो सरासर ग़लत है।

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि लोकतात्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधि सत्ता की बागडोर संभाले रहें लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को दिशानिर्देश देते रहें कि उनकी सलाह को अन्यथा नहीं लिया जाएगा। जैसा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परिपक्व अनुभव पर आधारित विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को उचित ठहराया था और दूसरी ओर उन्होंने भारत के विभिन्न भागों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से संगठित और एकजुट बनाया था। यदि प्रशासनिक सेवाओं की अच्छाइयों और खामियों का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि इनकी खूबियां ज्यादा हैं जबकि खामियों में लालफीताशाही और गद्दार लोग ही कुछ हद तक परेशानी का कारण हैं। इन सेवाओं के पास अवसर हैं कि नए तरीके अपनाकर चुनौतियों को हराएं और देश की सेवा में भरपूर योगदान करें। ■

टीम वही, कोचिंग नई अखिल मूर्ति के निर्देशन में



श्री अखिल मूर्ति

इतिहास
कला एवं संस्कृति



श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)

एथिक्स



श्री ए.के. अरुण

भारतीय अर्थव्यवस्था



श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)

राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा



श्री कुमार गौरव

भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन



श्री राजेश मिश्रा

भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध



श्री रीतेश आर जायसवाल

सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी



श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)

सामाजिक मुद्रे

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स.+मेन्स.)

प्रारंभ : 25 अगस्त, 2021

मुख्य परीक्षा कोर्स

प्रारंभ : 15 नवंबर, 2021

■ कक्षाएँ सरकार के दिशानिर्देशानुसार संचालित होंगी। ■ लाइव कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

संस्कृति ऑनलाइन कोर्सेज़

फाउंडेशन कोर्स

लाइव बैच

मुख्य परीक्षा

लाइव बैच

प्रारंभिक परीक्षा

पेन्ड्राइव कोर्स

- सप्ताह में 6 कक्षाएँ (प्रतिदिन एक कक्षा) संचालित होंगी।
- सम्पूर्ण कोर्स की अध्ययन सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

- वैकल्पिक विषय ◀
- | | | |
|---|--|--|
| इतिहास | भूगोल | राजनीति विज्ञान |
| द्वारा - अखिल मूर्ति
पेन्ड्राइव /ऑनलाइन एप कोर्स | द्वारा - कुमार गौरव
पेन्ड्राइव /ऑनलाइन एप कोर्स | द्वारा - राजेश मिश्रा
पेन्ड्राइव /ऑनलाइन एप कोर्स |

7428085757
7428085758

मिस्ड-कॉल करें:
9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

शासन में ईमानदारी

मीनाक्षी गुप्ता

“भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? यह कभी न खत्म होने वाले लालच से आता है। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और ‘मैं क्या दे सकता हूँ’ की भावना से इस स्थिति को बदलना होगा।”

- डॉ एपीजे अब्दुल कलाम

आ

चारनीति ऐसा मानक है जो व्यक्तियों के व्यवहार, पसंद और कार्यों को निर्देशित करने में मदद करता है। यह बहुआयामी है क्योंकि यह अधिकारों, दायित्वों, निष्पक्षता, गुणों आदि की अवधारणा सहित समाज की मूल्य प्रणाली द्वारा संचालित है। आचारनीति और ईमानदारी लोक प्रशासन प्रणाली की आधारशिला हैं। आज की दुनिया में, जब सरकारें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, सरकारी तंत्र और उसमें कार्य कर रहे कर्मियों की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे कानून और नियमों के सूत्रधार और प्रवर्तक दोनों हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना और दूसरों के लिए स्वयं के अधिपत्य को सुगम बनाने वाले मूल्यों को कम समय में आसानी से आत्मसात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सोच में बदलाव को जीवन भर विकसित करने की आवश्यकता होती है।

जिम्मेदारी और जवाबदेही आचारनीति के अभिन्न अंग हैं। कानूनों और नियमों की प्रकृति जिसके माध्यम से जवाबदेही लागू की जाती है, समाज के नैतिक विचारों पर आधारित है। कई देशों में उनके मंत्रियों, विधायकों और सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता/आचार नीति निर्धारित की गई है। ब्रिटेन में मंत्रिस्तरीय संहिता, अमेरिकी सीनेट में आचार संहिता और कनाडा में मंत्रियों के लिए मार्गदर्शिका है। स्पेन में मंत्रियों और विधिविदों के लिए सुशासन संहिता है।

इस लेख में विशेष रूप से भारत के संदर्भ में लोक प्रशासन में आचार नीति की अवधारणा और संस्थागत तंत्र द्वारा ईमानदारी सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में पढ़ताल करने की कोशिश की गई है। इसके खंड 1 में आचार नीति की अवधारणा और इस पर विचार किया गया है कि लोक प्रशासन में नैतिकता के पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने के लिए इसे विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों में कैसे प्रतिष्ठापित किया जाता है। इसके खंड 2 में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का वर्णन किया गया है। खंड 3 में देश में शासन में ईमानदारी को मजबूत करने के लिए संस्थागत और विधायी ढांचे की चर्चा की गई है।

खंड-1

अवधारणा : एथिक्स यानी आचार नीति शब्द मूल ग्रीक शब्द एथिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आदत से उत्पन्न होना। निस्संदेह, संस्कृति, मूल्य, चरित्र, और सही-गलत का ज्ञान नैतिकता के सर्वोत्कृष्ट निर्धारक हैं। साथ ही, नीतिपरक शासन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संस्थागत ढांचे की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। आचार नीति केवल उच्च नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, इसका संबंध सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनकी चूक के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र से भी है।

भ्रष्टाचार निवारण समिति (1964) : इसे संथानम समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसने कहा था:

“नैतिक तत्परता की कमी, जो हाल के वर्षों की एक विशिष्ट विशेषता रही है, शायद यह सबसे बड़ा एकमात्र कारक है जो ईमानदारी और दक्षता की मजबूत परंपराओं के विकास में बाधा डालता है।”

पदाधिकारियों को जो जनता का विश्वास और सम्मान मिलता है, वह काफी हद तक सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।



सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता के प्रमुख सिद्धांतों का पालन हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसा बढ़ाता है। सरकारी पदाधिकारियों का आचरण सभी परिस्थितियों में निन्दा से परे होना चाहिए। उनके पेशेवर या व्यक्तिगत आचरण में कोई भी कमी उनकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और काम की गुणवत्ता की प्रतिकूलता को प्रदर्शित करती है और उनके कार्यों के बारे में संदेह पैदा करती है।

शासन में आचार नीति



नैतिकता का पारिस्थितिकी तंत्र

- संस्कृति
- मूल्य (सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आदि)
- हितों का टकराव



विद्यार्थी और प्रशासनिक तंत्र

- मरियों के लिए आचार-सहित
- सिविल सेवकों के लिए आचार-सहित
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
- सूचना का अधिकार



संस्थागत तंत्र

- लोकायुक्त
- सीबीसी
- सीबीआई


आचार नीति मानव चरित्र और आचरण से संबंधित है। यह सभी प्रकार के झूठ की निंदा करती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आचार नीति पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में शासन में नैतिकता के सिद्धांतों का सुझाव दिया और कहा कि:

1. नैतिक व्यवहार के किसी भी तंत्र में निम्नालिखित को शामिल किया जाना चाहिए।
2. आचार नीति मानदंडों और आचरण को संहिताबद्ध करना।
3. सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत लाभ के बीच टकराव से बचने के लिए व्यक्तिगत हित का खुलासा करना।
4. प्रासंगिक संहिताएं लागू करने के लिए एक तंत्र बनाना।

किसी सार्वजनिक अधिकारी की पद के लिए योग्यता और अयोग्यता के संबंध में मानदंड निर्धारित करना मूल्य, समाज के सभी सदस्यों को मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक सितारों के रूप में कार्य करते हैं और सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सम्मान करें और पालन करें। चूंकि वे संहिताबद्ध नहीं हैं और व्याख्या पर आधारित हैं इसलिए टकराव या संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही, संस्कृति और सभ्यता में सही और गलत की पहचान गहराई से निहित है। समाज का लोकाचार, विश्वास और भरोसे के वातावरण का निर्माण करने वाले नागरिकों के व्यवहार के तरीके से तैयार किया गया है।

सत्यनिष्ठा को आचरण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक समग्र अवधारणा के रूप में देखा जाना चाहिए और वित्तीय ईमानदारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक पद को एक ट्रस्ट के रूप में माना जाना चाहिए जो पदधारकों पर बहुत अधिक जिम्मेदारी डालता है और उन्हें समाज के प्रति जवाबदेह बनाता है। नीतिपरायणता की शक्ति और सत्यता को बनाए रखने की क्षमता भीतर से आनी चाहिए। ईमानदारी केवल एक सरकारी आदेश से निकलने वाला जनादेश नहीं हो सकता। सत्यनिष्ठा के लिए सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन

भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन	नोलन समिति	स्पेन की सुशासन संहिता
<p>भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन की परिकल्पना—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी कानूनी प्रणाली के मूल सिद्धांतों के अनुसार अपने सरकारी अधिकारियों के बीच सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। 2. सार्वजनिक कार्यों के सही, सम्मानजनक और उचित प्रदर्शन के लिए आचार संहिता या मानक स्थापित करना। 3. सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कृत्यों की उपयुक्त प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए उपाय करना और प्रणालियों की स्थापना करना। 4. सार्वजनिक अधिकारी अपनी उन बाहरी गतिविधियों, रोजगार, निवेश, संपत्ति और उपहार या लाभों के बारे में घोषणा कर सकें जिनसे सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में उनके कार्यों में हितों का टकराव हो सकता है, इसके लिए आवश्यक उपायों की घोषणा और प्रणालियों की स्थापना करना। 5. स्थापित संहिता या मानकों का उल्लंघन करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई करना। 	<p>सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांतः</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निष्वार्थता 2. सत्यनिष्ठा 3. निष्पक्षता 4. जवाबदेही 5. खुलापन 6. ईमानदारी 7. नेतृत्व 	<p>संहिता में विकसित नैतिकता और अच्छे आचरण के सिद्धांतः</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निष्पक्षता 2. सत्यनिष्ठा 3. तटस्थता 4. जिम्मेदारी 5. विश्वसनीयता 6. निष्पक्षता 7. गोपनीयता 8. जनसेवा के प्रति समर्पण 9. पारदर्शिता 10. अनुकरणीय आचरण 11. आत्मसंयम 12. पहुंच 13. दक्षता 14. ईमानदारी और 15. संस्कृति, पर्यावरण तथा स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देना।



करते हुए उचित परिश्रम करने, जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने और अपने काम को करने तथा सरकारी संसाधनों को संभालने में ईमानदार होने की आवश्यकता है। हितों के टकराव से हर हाल में और हर समय बचना चाहिए। तदनुसार, किसी भी परिस्थिति में, आधिकारिक पद का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों को हितधारकों के साथ अपने संबंधों के बारे में सावधान रहना चाहिए जो समाज की सर्वांगीण बेहतरी के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें जोखिम में डाल सकते हैं। निर्णय कभी भी समाज के कुछ चुनिंदा या विशिष्ट वर्गों के लाभ से प्रेरित नहीं होने चाहिए।

भारत सरकार ने एक आचार संहिता निर्धारित की है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मंत्रियों पर लागू होती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रियों द्वारा उनकी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने, सरकार में शामिल होने से पहले जिस व्यवसाय में थे उससे सभी संबंध विच्छेद करने और स्वयं या परिवार के किसी सदस्य आदि के लिए कोई योगदान या उपहार स्वीकार नहीं करने की बात कही गई है।

सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता समय के साथ विकसित हुई है। 1930 के दशक में सिविल सेवकों के लिए क्या करें और क्या न करें वाले निर्देशों का एक संग्रह जारी किया गया था और इसे आचरण नियमावली कहा गया था। संथानम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, आचरण नियमावली को संशोधित और विस्तारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप आज सीसीएस आचरण नियम 1964 का पालन किया जा रहा है। ये नियम सरकारी कर्मचारियों के

लिए निर्देशों की संचालक शक्ति हैं। कानूनी ढांचे में नए आयामों की शुरूआत के आधार पर, 1964 के संस्करण के बाद से आचरण नियमों में संशोधन किया गया है। कुछ उल्लेखनीय समावेशन में शिष्टाचार का पालन करने, दहेज मांगने तथा स्वीकार करने पर रोक लगाने, महिला कर्मचारियों के यौन उत्तीड़न पर रोक लगाने (विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर) और हाल में, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाने की आवश्यकता शामिल हैं (बाल श्रम निषेध अधिनियम में संशोधन के मद्देनजर)। यह सतत प्रक्रिया सरकारी कर्मियों से समाज की बदलती अपेक्षाओं का प्रतिविवर है।

आचरण नियम, सामान्य व्यवहार के कुछ मानदंडों को निर्धारित करते हैं जैसे ईमानदारी तथा कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखना और एक सरकारी कर्मचारी का अशोभनीय आचरण में शामिल नहीं होना। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि भारत में सिविल सेवकों के लिए कोई आचार-नीति निर्धारित नहीं है, जबकि ऐसी संहिता अन्य देशों में मौजूद हैं। हालांकि, हमें इस बात की सराहना करने की आवश्यकता है कि हमारी सिविल सेवा प्रणाली में संतुलित दृष्टिकोण की परंपरा है।

सत्यनिष्ठा के लिए सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करते हुए उचित परिश्रम करने, जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने और अपने काम को करने तथा सरकारी संसाधनों को संभालने में ईमानदार होने की आवश्यकता है। हितों के टकराव से हर हाल में और हर समय बचना चाहिए।

सिविल सेवकों के लिए निर्धारित आचार संहिता काफी व्यापक है और एक निवारक के रूप में कार्य करती है, लेकिन फिर भी अपेक्षित व्यवहार के मानदंडों से विचलन के मामले सामने आए हैं। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि विचलन विभिन्न तंत्रों के माध्यम से देखे जाते हैं और सीसीएस (सीसीएस) नियमों में बड़े और मामूली दंड का प्रावधान है। हालांकि, सिविल सेवकों की

जबाबदही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए तत्र प्रदान किया गया है, लेकिन तर्क दिया जाता है कि दंड देने की पूरी प्रक्रिया बहुत उबाऊ और समय लेने वाली है। ऐसे प्रक्रियात्मक मुद्दों को प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करके और अधिक महत्वपूर्ण रूप से निगरानी करके निपटाया जा सकता है।

खंड-2

अंतरराष्ट्रीय अनुभव : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प को मंजूरी दी। संकल्प के अनुच्छेद 8 में सार्वजनिक अधिकारियों के लिए आचार सहिता का उल्लेख है। ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर समिति, जिसे नोलान समिति के नाम से जाना जाता है, ने सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांतों को रेखांकित किया। स्पेन में सुशासन की सहिता की परिकल्पना है जिसके तहत सरकार के सदस्य और सामान्य राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए सर्विधान और बाकी कानूनी प्रणाली के अनुसार अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे। इन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

समय-समय पर संशोधित सीसीएस आचार सहिता (1964) को ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा या ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर समिति या स्पेन में सुशासन की सहिता में उल्लिखित अधिकांश सिद्धांत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसमें निहित है। हालांकि, इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि सही आचरण के मानदंडों को केवल कानूनों और नियमों के कठोर प्रवर्तन के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है और दृष्टिकोण में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है।

खंड-3

संस्थागत एवं विधायी ढांचा : शासन की कुशल और प्रभावी प्रणाली के लिए शासन में ईमानदारी नितांत आवश्यक है। नैतिकता और सत्यनिष्ठा को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। सर्विधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2001 में प्रशासन में ईमानदारी पर जारी परामर्श पत्र में कई विधायी और संस्थागत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें शामिल हैं:

1. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम की धारा 5 को लागू करने की आवश्यकता,
2. लोक सेवकों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती का प्रावधान करने वाले कानून की आवश्यकता,
3. जनहित प्रकटीकरण कानून का अधिनियमन,
4. सूचना की स्वतंत्रता कानून का अधिनियमन,
5. केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून के अलावा लोकपाल विधेयक को अधिनियमित करने की आवश्यकता और
6. आपराधिक न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना।

सुशासन विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। शासन में ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन में जबाबदही, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। भारत में, हमारे पास ईमानदारी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक विधायी और संस्थागत ढांचा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

संस्थागत और कानूनी ढांचा

संस्थान	कानून
1. सीबीसी	1. बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम
2. सीबीआई	2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
3. सीएजी	3. सूचना का अधिकार अधिनियम
4. लोकपाल और लोकायुक्त	4. भारतीय दंडसहिता और आपराधिक दंडसहिता

उपरोक्त ढांचा काफी व्यापक है, फिर भी अन्य देशों की तरह हमारे पास सरकारी अधिकारियों के लिए आचारनीति सहिता और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम आदि जैसे कानूनों नहीं हैं। एक समाज के रूप में हम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त बनने की आकांक्षा रखेंगे। मौजूदा मजबूत ढांचे के बावजूद, व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। मौजूदा तंत्र के अलावा विभिन्न कार्यों में इस प्रकार जबाबदही और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है:

1. कार्य स्वतंत्रता को कम से कम कर,
2. शासन के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग कर,
3. सेवाओं और संबंधित गतिविधियों के प्रतिपादन के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ-साथ उन्हें प्रदान करने की जिम्मेदार निश्चित करने के साथ नागरिक चार्टर को अधिक विस्तृत बनाकर, इनके अलावा नागरिक चार्टर के अनुपालन पर एक मासिक रिपोर्ट संगठन की वेबसाइट पर डाली जा सकती है।

हमारे पास प्रत्येक श्रेणी में सफलता की कहानियां हैं। कुछ प्रवेश-श्रेणी के पदों पर साक्षात्कार को समाप्त करने के सरकार के हालिया निर्देशों ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। रेलवे द्वारा यात्री टिकटों की बुकिंग के लिए और नगर निकायों द्वारा जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने और संपत्ति कर के भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के उदाहरण सर्वविदित हैं।

निष्कर्ष

सरकारी अधिकारी और कर्मचारी समाज का हिस्सा हैं और किसी हद तक वे भी सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होते हैं। साथ ही, शासन संरचना का हिस्सा होने के नाते, उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और हर समय निष्कपट दिखना चाहिए। सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत तंत्र विद्यमान है। लोगों को देश के कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित करके और साथ ही अपराधियों को बहुत कठोर दंड देकर इसे अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

‘‘हम अपने बच्चों से ईमानदारी से कह सकें कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इससे पहले हमें दुनिया को ईमानदार बनाना चाहिए’’

- जॉर्ज बर्नार्ड शॉ

संदर्भ

1. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, चौथी रिपोर्ट- शासन में नैतिकता,
2. सर्विधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा शासन में सत्यनिष्ठा पर परामर्श पत्र
3. सीसीएस सीसीए नियम
4. सीसीएस आचरण नियम 1964
5. <http://www.oecd.org/dataoecd/17/35>

सामाजिक बदलाव के लिये लोक प्रशासन

डॉ एम आर श्रीनिवास मूर्ति

केन्द्र सरकार ने ई-शासन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। लेकिन केन्द्र, राज्य, जिला और स्थानीय शासन के बीच अंतर-संचालकता से संबंधित जटिलताएं अब भी मौजूद हैं। मौजूदा समय में भारत के सामने अंतर-संचालकता, अवसंरचना, डिजिटल विभाजन और कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौतियां हैं। वह इनसे निपटने तथा नागरिकों के नजरिये से सेवा प्रदाता प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता विकसित करने के लिये नये कदम उठा रहा है। देश शहरी और ग्रामीण ई-शासन अवसंरचनाओं के बीच अंतर को मिटाने की कोशिश में जुटा है।

ई

-शासन आधुनिक युग में एक सफल सरकार के लिये अपरिहार्य जरूरत बन गया है।

सरकारों को संयोजक और सेवा प्रदाता होने के नाते अपने नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने की दरकार होती है। मौजूदा समय में प्रभावी और कुशल सरकार के लिये सरल, नैतिक, जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी शासन जरूरी हो गया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 1970 के दशक में ई-शासन को अपनाना शुरू किया। उसने बदलाव को तेजी से अपनाते हुए अच्छी शासन नीति की ओर त्वरित प्रगति की है।

ई-शासन का मकसद सरकार के नागरिकों और व्यावसायिक उद्यमों के साथ संवाद तथा एजेंसियों के दरमियान संबंधों को सुविधाजनक, पारदर्शी, मैत्रीपूर्ण, प्रभावी और किफायती बनाना है।

‘गार्टनर ई-गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल’ के अनुसार ई-शासन के चार चरण हैं— सूचना, संवाद, व्यवहार और बदलाव। ई-शासन आधुनिक युग में किसी लोकतात्रिक देश को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करता है। संयुक्तराष्ट्र ई-शासन सर्वेक्षण 2008 में ‘गार्टनर ई-गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल’ को विस्तार देते हुए इसमें पांच चरण, जनोन्मुख सरकार को भी शामिल किया गया।

इस पांचवें चरण में सरकारों को खुद को नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप काम करने वाले संयोजक मंच में तब्दील करना है। इसके लिये वे निम्नलिखित विशेषताओं को अपना कर सकते हैं:

क्षैतिज संयोजन: सरकारी एजेंसियों के

बीच तालमेल के लिये प्लेटफॉर्म की स्थापना।
ऊर्ध्व संयोजन: केन्द्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय शासन के बीच तालमेल के लिये प्लेटफॉर्म की स्थापना।

अवसंरचना संयोजन: अंतर-संचालकता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये संयोजक प्लेटफॉर्म की स्थापना।



सरकार और हितधारकों के बीच संबंध तथा हितधारकों के मध्य आपसी तालमेलः सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, शैक्षिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक संस्थाओं इत्यादि के बीच तालमेल के लिये स्लेटफॉर्म की स्थापना।

भारत सरकार ने ई-शासन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। लेकिन केन्द्र, राज्य, जिला और स्थानीय शासन के बीच अंतर-संचालकता से संबंधित जटिलताएं अब भी मौजूद हैं। संयुक्तराष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) के ई-शासन सर्वेक्षण, 2020 में भारत को सौवां स्थान दिया गया है। इस ई-शासन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2016 में 107वां, 2014 में 118वां और 2018 में 96वां था। इस तरह 2016 और 2018 के बीच भारत ने 22 स्थानों की छलांग लगायी। लेकिन 2020 में वह चार पायदान उत्तर कर बोलिविया (97) और ईरान (89) से भी नीचे सौवें स्थान पर पहुंच गया। ई-भागीदारी में भारत 2020 में 29वें स्थान पर रहा। वह 2018 में इससे 14 पायदान ऊपर 15वें स्थान पर था। मानव पूँजी सूचकांक में भारत ने यथास्थिति बरकरार रखी। मगर ऑनलाइन सेवा और दूरसंचार अवसंरचना के सूचकांकों में वह फिसल गया।

मौजूदा समय में भारत के सामने अंतर-संचालकता, अवसंरचना, डिजिटल विभाजन और कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौतियां हैं। वह इनसे निपटने तथा नागरिकों के नजरिये से सेवा प्रदाता प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता विकसित करने के लिये नये कदम उठा रहा है। देश शहरी और ग्रामीण ई-शासन अवसंरचनाओं के बीच अंतर को मिटाने की कोशिश में जुटा है। भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में राष्ट्रीय ई-शासन सेवा आपूर्ति आकलन (एनईएसडीए) फ्रेमवर्क की शुरुआत की। इसका मकसद केन्द्र सरकार से स्थानीय शासन के स्तर तक विभिन्न सरकारी विभागों की ई-शासन पहलकदमियों की प्रभावशीलता का आकलन करना है। एनईएसडीए का ऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआई) वास्तव में यूएनडीईएसए के ई-शासन सर्वेक्षण पर आधारित है। इसके पीछे उद्देश्य

डिजिटल अपनायें कागज का इस्तेमाल बंद करें पेड़ बचाएं

क्या आप किसी प्रत्यक्ष लाभ
हस्तांतरण योजना के लाभार्थी हैं?

 उमंग ऐप ने 75 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं के लिए आवेदन आसान और कागज-रहित बनाया।

 अपने पंजीकृत बैंक खाते में रकम के हस्तांतरण के लिए उमंग ऐप के जरिये आवेदन करें और उसकी स्थिति जानें।



भारतीय ई-शासन के ढांचे को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है।

भारत सरकार की ई-शासन पहलकदमियों के प्रमुख मूल अवसंरचनात्मक घटकों में राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी), राज्यव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क (एसडब्ल्यूएन-स्वान), सार्वजनिक सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय ई-शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एनएसडीजी), राज्य ई-शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एसएसडीजी) और मोबाइल ई-शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एमएसडीजी) जैसे मिडिलवेर गेटवे, त्वरित आकलन प्रणाली, आधार डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर, उमंग, राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली, ओपनफोर्ज, ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल लॉकर, ओपन डाटा, शासकीय खरीद-शासन ई-बाजार (जीईएम), जीआई क्लाउड (मेघराज), ईताल, आर्काइव इत्यादि शामिल हैं।

बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार ने ई-शासन में डिजिटल क्रांति ला दी है। इसके

'गार्टनर ई-गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल' के अनुसार ई-शासन के चार चरण हैं- सूचना, संवाद, व्यवहार और बदलाव। ई-शासन आधुनिक युग में किसी लोकतांत्रिक देश को जनता की उम्मीदों पर खरा उत्तरने में मदद करता है।

तहत सरकार ने भारतीयों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबी उन्मूलन और कल्याण से संबंधित कई अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं में इस संख्या का इस्तेमाल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ई-शासन योजना

इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा डिलीवरी केन्द्र के जरिये सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिये उसके इलाके में ही उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सामान्य नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये इन सेवाओं को किफायती रखने और कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

एनईजीपी के सफल क्रियान्वयन के लिये निम्नलिखित रणनीति, दृष्टिकोण और तौर-तरीके अपनाये जा रहे हैं-

- स्वान, एसडीसी, सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी गेटवे जैसी सार्वजनिक समर्थन अवसंरचनाएं
- एनईजीपी के क्रियान्वयन की निगरानी और इसमें तालमेल के लिये समुचित शासन प्रणालियों का विकास
- केन्द्रीकृत योजना, विकेन्द्रित क्रियान्वयन
- सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझीदारी
- समग्रता के तत्व

भारत में ई-शासन की विकास यात्रा

1970	भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की
1977	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) की स्थापना
1987	राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कम्प्यूटर नेटवर्क निकेट शुरू
1990	निकेट को राज्यों की राजधानियों के जरिये सभी जिला मुख्यालयों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू
1999	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन
2000	ई-शासन के लिये 12 सूत्री न्यूनतम एजेंडा तैयार
2006	राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) शुरू। इसमें मिशन की तरह चलायी जा रही 27 परियोजनाएं और आठ घटक शामिल हैं।
2009	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग का गठन किया। यह डिजिटल इंडिया निगम के तहत स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है।
2011	मिशन की तरह चलायी जा रही परियोजनाओं की संख्या 27 से बढ़ कर 31 हुई। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और डाक से जुड़ी चार परियोजनाओं को शामिल किया गया।
2015	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत

- राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर कार्यक्रम का दृष्टिकोण
- विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा एनईजीपी के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता मुहैया कराने की डीआईटी की सहायक भूमिका
- मिशन की तरह चलायी जा रही परियोजनाओं (एमएमपी) पर मंत्रालयों का स्वामित्व

मिशन के तौर पर चलायी जा रही परियोजनाएं

एनईजीपी में 31 एमएमपी शामिल हैं। इनमें 11 केन्द्रीय, 13 राज्यों की और सात समेकित परियोजनाएं तथा आठ घटक हैं। एमएमपी स्पष्ट उद्देश्यों, दायरों, क्रियान्वयन की समय-सीमाओं और उपलब्धियों के साथ शासन के किसी एक पहलू पर केन्द्रित होती है। उसके नतीजे और सेवा स्तर मापनीय होते हैं।


- केन्द्रीय एमएमपी: बैंकिंग, केन्द्रीय उत्पाद और आयात शुल्क, आयकर, बीमा, एमसीए 21, पासपोर्ट, आव्रजन, वीसा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग, पेंशन, ई-कार्यालय, डाक तथा यूआईडी
- राज्य एमएमपी: कृषि, वाणिज्य कर, ई-जिला, नियोजन कार्यालय, भूमि रिकॉर्ड (एनएलआरएमपी), नगरपालिका, ई-पंचायत, पुलिस (सीसीएनटीएस), सड़क परिवहन, कोषागार कम्प्यूटरीकरण, सार्वजनिक

- वितरण प्रणाली, शिक्षा और स्वास्थ्य
- समेकित एमएमपी: सीएससी, ई-बिज, ई-अदालत, ई-खरीद, ई-व्यापार के लिये ईडीआई, राष्ट्रीय ई-शासन सेवा डिलीवरी गेटवे और भारत पोर्टल

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत 2015 में की गयी। इसके तहत डिजिटल अवसंरचना में निवेश और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर तथा ऑनलाइन सेवाओं के प्रावधान के विस्तार के जरिये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच खाई पाटने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम का मकसद भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

- तेल और सुलभ बन रही है भारत में न्याय डिलीवरी प्रणाली
- उपयोग के तौर पर डिजिटल अवसंरचना
- मांग पर शासन और सेवाएं
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के द्वारे में सरकार के कई मंत्रालय और विभाग आते हैं। इस कार्यक्रम के पूरे तालमेल का जिम्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास है। इसमें विकास के इन नौ स्तंभों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है - ब्रॉडबैंड हाइवे, सबके लिये मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक



ई-कोर्ट

सर्विसेज़ मोबाइल ऐप
आसान और सुलभ बन रही है
भारत में न्याय डिलीवरी प्रणाली

न्यायपालिका के सदस्यों, अधिकारियों, वादियों, पुलिसकर्मियों, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप

मामले की स्थिति, मामलों की सूचियाँ और न्यायालय के आदेशों को देखें

अपने मामले की विस्तृत जानकारी कभी भी और कहीं भी पाने के लिए ई-कोर्ट सर्विसेज़ मोबाइल ऐप डाउनलोड करें



इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई-शासन: प्रौद्योगिकी के जरिये सरकार में सुधार, ई-क्रांति: सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी, सबसे लिये सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, रोजगारों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तथा शीघ्र लाभ कार्यक्रम। इन सभी क्षेत्रों के उपर्युक्त हैं और इनका संबंध अनेक मंत्रालयों और विभागों से है।

राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) मुख्य सूचना अधिकारियों के लिये ई-शासन नेतृत्व कार्यक्रम चला रहा है। यह नीति और कार्यक्रम स्तर के उन अधिकारियों के लिये है जो केन्द्र और राज्य के मंत्रालयों और विभागों की ई-शासन परियोजनाओं और पहलकदमियों से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों में ई-शासन चैम्पियनों को तैयार करना है। इससे सरकार में सभी स्तरों पर ई-शासन पहलकदमियों के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी।

राष्ट्रीय ई-शासन सेवा डिलीवरी आकलन (एनईएसडीए)

एनईएसडीए का मकसद राज्य और केन्द्र के स्तर पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के रोजमर्रा के कामकाज में ई-शासन फैमिली के उपयोग को बढ़ावा देना है। नीति निर्माण में नागरिकों और व्यवसायों की ई-भागीदारी को प्रोत्साहन देना, संयुक्तराष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की मदद करना और डिजिटल खाई को पाट कर देश में आबादी के सभी स्तरों पर सार्वजनिक सेवा की कुशल डिलीवरी इसके अन्य उद्देश्य हैं। इसके जरिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के क्षमता निर्माण से नवाचारी और उन्नत सार्वजनिक सेवा डिलीवरी के विकास का प्रयास किया जा रहा है। यह केन्द्र से लेकर स्थानीय स्वास्थ्यन तक शासन के हर स्तर पर सभी ई-सेवाओं के लिये एक आसान और एकल प्रवेश बिंदु के विकास में सहायक है। एनईएसडीए के तहत आकलन के मानदण्डों में अभियान्ता, उपयोग में आसानी, प्रयोजन सेवा की डिलीवरी, समेकित सेवा डिलीवरी, सामग्री उपलब्धता, सूचना सुरक्षा और नियत तथा स्थिति और अनुरोध की ट्रैकिंग शामिल हैं।

ई-शासन और कोविड 19 की वैश्विक महामारी

मौजूदा वैश्विक महामारी के दौर में संचार, नेतृत्व और नीति निर्माताओं, प्रशासन

डिजिटल अपनायें कागज का इस्तेमाल बंद करें पेड़ बचायें

ई-चालान

डिजिटल यातायात/
परिवहन प्रवर्तन समाधान

इस सेवा के जरिये यातायात अधिकारी कागज के इस्तेमाल के बिना इलेक्ट्रॉनिक चालान तुरंत जारी कर सकते हैं



और समाज के बीच तालमेल के जरूरी तत्व के रूप में ई-शासन की केन्द्रीय भूमिका हो गयी है। ई-शासन की पहलकदमियों के जरिये स्थापित डिजिटल प्रौद्योगिकियां ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नागरिकों को पारदर्शी दिशा-निर्देश मुहैया कराने के महत्वपूर्ण स्रोत बन गयी हैं। ई-शासन कोविड 19 से संबंधित सूचनाओं के ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और अंतर-प्रचालनीय ढंग से प्रसार के लिये महत्वपूर्ण आईसीटी औजार बन गया है। कोविड 19 मामलों के ऑनलाइन आंकड़ों, लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों, यात्रा प्रतिबंधों, अस्पतालों में खाली बिस्तरों का पता लगाने, ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराने तथा वित्तीय सहायता और राहत के वितरण इत्यादि से संबंधित काम ई-शासन अवसंरचना

आरोग्य सेतु और कोविन ऐप कोविड मरीजों का पता लगाने और टीकाकरण के प्रबंधन में नागरिकों और सरकार की मदद करने के ई-शासन के मुख्य साधन हैं। अस्पतालों में भीड़भाड़ को घटाने के लिये ई-चिकित्सक टेली-वीडियो परामर्श सुविधा शुरू की गयी है। तेज प्रतिक्रिया और संकट का अनुमान लगाने के लिये स्मार्ट सिटी की अवसंरचना का उपयोग किया गया। पिंपरी चिंचवाड में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2015 में समेकित सार्वजनिक नियंत्रण केन्द्रों की शुरुआत की गयी थी। इन्हें कोविड 19 नियंत्रण केन्द्रों में तब्दील कर दिया गया। इन केन्द्रों ने कोविड 19 से निपटने के काम में रियल टाइम डैशबोर्डों और वीडियो मॉनिटरों का इस्तेमाल किया। कोविड 19 मामलों का पता लगाने, खुले हुए दवाखानों की पहचान करने और अस्पताल की क्षमता की निगरानी के लिये रियल-टाइम डैशबोर्डों, वीडियो मॉनिटरों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। जिन शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन

के माध्यम से ही किये गये। जनधन आधार मोबाइल (जैम) डिलीवरी प्रणाली वैश्विक महामारी के दौरान जनसाधारण की मदद के लिये नकद भुगतानों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्यान्नों की आपूर्ति और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत सामग्री के वितरण का मुख्य वाहक बन गयी।

आरोग्य सेतु और कोविन ऐप कोविड मरीजों का पता लगाने और टीकाकरण के प्रबंधन में नागरिकों और सरकार की मदद करने के ई-शासन के मुख्य साधन हैं। अस्पतालों में भीड़भाड़ को घटाने के लिये ई-चिकित्सक टेली-वीडियो परामर्श सुविधा शुरू की गयी है। तेज प्रतिक्रिया और संकट का अनुमान लगाने के लिये स्मार्ट सिटी की अवसंरचना का उपयोग किया गया। पिंपरी चिंचवाड में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2015 में समेकित सार्वजनिक नियंत्रण केन्द्रों की शुरुआत की गयी थी। इन्हें कोविड 19 नियंत्रण केन्द्रों में तब्दील कर दिया गया। इन केन्द्रों ने कोविड 19 से निपटने के काम में रियल टाइम डैशबोर्डों और वीडियो मॉनिटरों का इस्तेमाल किया। कोविड 19 मामलों का पता लगाने, खुले हुए दवाखानों की पहचान करने और अस्पताल की क्षमता की निगरानी के लिये रियल-टाइम डैशबोर्डों, वीडियो मॉनिटरों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। जिन शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन

के तहत समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र काम कर रहे थे उनमें इन्हें जागरूकता फैलाने और आपतकालीन सेवाओं का संचालन करने वाले प्रबंधकों के लिये चौबीसों घंटे सक्रिय केन्द्रों में बदल दिया गया। कोविड 19 के मामलों का पता लगाने, एकांतवास की निगरानी और शहर के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और लॉजिस्टिक्स में ऐप्स की प्रमुख भूमिका रही।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

कोविड 19 के प्रकोप के दौरान ई-शासन परियोजनाओं के दायरे का अप्रत्याशित गति से विस्तार हुआ। इनमें अनेक नयी विशेषताओं और नवाचारी ई-अवसंरचना को जोड़ा गया। मौजूदा समय में ई-शासन से जुड़ी भारत की आबादी को व्यक्तियों की निजी सूचनाओं वाले विश्व के सबसे बड़े डाटाबेसों में से एक माना जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान प्रदत्त बुनियादी अधिकारों और मूल्यों के अनुरूप एक सुरक्षित, प्रभावशाली, विश्वसनीय और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण चुनौती भी पैदा हुई है। डिजिटल विभाजन को घटाने के मकसद से नये तौर-तरीकों को अपनाना और किसी को पीछे नहीं छोड़ने के संकल्प को पूरा करने के लिये समावेशी ई-शासन को बढ़ावा देना एक अन्य चुनौती है।

सरकार को कोविड के बाद की स्थिति में निम्नलिखित उपायों के जरिये प्रभावशाली ई-शासन विकसित करने की दरकार है-

- ई-शासन अवसंरचना की सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच अंतर-प्रचालकता
- समावेशी ई-शासन ढांचे का विकास ताकि कोई भी इसके दायरे से बाहर नहीं छूटे
- प्रभावशाली डाटा संरक्षण कानून और प्रशासनिक विनियमों का निर्माण
- सूचनाओं की चोरी और दुरुपयोग से बचने के लिये डाटा सुरक्षा का विकास
- समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी बना कर डिजिटल विभाजन घटाना। समावेशन के लिये ई-साक्षरता तथा ज्यादा उपयोग के वास्ते सुलभता को बढ़ाना
- संवहनीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिये अनिवार्य क्षेत्र निर्दिष्ट सेवा पर ध्यान केन्द्रित करना

ई-शासन की पहलकदमियों के जरिये स्थापित डिजिटल

प्रौद्योगिकियां ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नागरिकों को पारदर्शी दिशा-निर्देश मुहैया कराने के महत्वपूर्ण स्रोत बन गयी हैं।

ई-शासन कोविड 19 से संबंधित सूचनाओं के ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और अंतर-प्रचालनीय ढंग से प्रसार के लिये महत्वपूर्ण आईसीटी औजार बन गया है। कोविड 19 मामलों के ऑनलाइन आंकड़ों, लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों, यात्रा प्रतिवंधों, अस्पतालों में खाली बिस्तरों का पता लगाने, ऑफसीजन सिलिंडर उपलब्ध कराने तथा वित्तीय सहायता और राहत के वितरण इत्यादि से संबंधित काम ई-शासन अवसंरचना के माध्यम से ही किये गये।

संदर्भ

1. सेवा डिलीवरी में सुधार के लिये नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना और समेकित सेवा डिलीवरी पर ध्यान केन्द्रित करना। ■
2. बट्टा रमण, ई-गवर्नेंस पॉर्सिविलिटीज इन इंडिया फॉर द पोस्ट कोविड 19 एरा (2020), आज्वर्वर रिसर्च फाउंडेशन। यहां देखें- <https://www.orfonline.org/expert-speak/egovernance-possibilities-india-post-covid19-era-66316/>
3. मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ): ई-शासन नेतृत्व कार्यक्रम। यहां देखें- <https://digitalindia.gov.in/content/chief-information-officer-scio-e-governance-leadership-programme>
4. सिटिजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन : द हार्ट ऑफ गवर्नेंस (2009), बारहवीं रिपोर्ट, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत सरकार। यहां देखें- <https://darpg.gov.in/sites/default/files/ccadmin12.pdf>
5. डिजिटल इंडिया: प्रोग्राम पिलर्स। यहां देखें- <https://digitalindia.gov.in/content/>
6. programme-pillars
- ई-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। यहां देखें - <http://egovstandards.gov.in/>
- ई-गवर्नेंस में डिजिटल गवर्नेंट इन द डेकेड ऑफ एक्शन फॉर स्टेनेबेल डेवलपमेंट विद एडेंडम ऑन कोविड 19 रेसपॉन्स, संयुक्तराष्ट्र अधिक और सामाजिक मामले विभाग। यहां देखें- [https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20\(Full%20Report\).pdf](https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf)
- गवर्नेंस कैरेसिटी बिल्डिंग: ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। यहां देखें- https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/e-Governance_Project_Lifecycle_Participant_Handbook-5Day_CourseV1_20412.pdf
- ई-शासन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत परियोजनाओं की सूची 2020। यहां देखें- <https://negr.gov.in/sites/default/files/NAeG-2020.pdf>
- मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, एनईजीपी। यहां देखें- <https://www.meity.gov.in/content/mission-mode-projects>
- ई-शासन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार। यहां देखें- <https://negr.gov.in/sites/default/files/2021-01/portal%20launch.pdf>
- ई-शासन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार, ई-शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ई-शासन खंड, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। यहां देखें- https://negr.gov.in/national_awards_for_e-governance
- राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार, 2020। यहां देखें- <https://negr.gov.in/sites/default/files/NAeG-2020.pdf>
- राष्ट्रीय ई-शासन खंड। यहां देखें- <https://negd.gov.in/node/67>
- राष्ट्रीय ई-शासन योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहां देखें- <https://www.meity.gov.in/divisions/national-e-governance-plan>
- प्रोमोटिंग ई-गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, ग्यारहवीं रिपोर्ट, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2008)। यहां देखें- https://darpg.gov.in/sites/default/files/promoting_egov11.pdf
- सारांश, ए कंपेंडियम ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर एनईजीपी (2011), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। यहां देखें- [https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Compendium_FINAL_Version_220211\(1\).pdf](https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Compendium_FINAL_Version_220211(1).pdf)

भारतीय विदेश सेवा: निरंतर उत्कृष्टता की ओर

हर्ष वी पंत

आईएफएस विश्व की सबसे कठिन प्रतिस्पर्धी और व्यापक स्वरूप वाली सेवा है जिसने वैश्विक राजनयिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसने विभिन्न रूपों से अन्य देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों का प्रबंधन किया है। इन रूपों या तरीकों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना तथा देश के हितों को बनाए रखना, देश के मैत्रीपूर्ण विदेश सम्बन्धों को बनाए रखना तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और विदेशों से राजनयिक महत्व की जानकारियां जुटा कर सरकार को प्रस्तुत करना शामिल है।

13

सितंबर 1783 को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) ने फोर्टविलियम, कलकत्ता (अब कोलकाता) में एक ऐसा विभाग बनाने का फैसला

लिया जो वारेनहेस्टिंग्स प्रशासन पर 'काम का दबाव कम करने के लिए' उसके 'गोपनीय तथा राजनैतिक कार्यों में मदद कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह कठिन समय था। मराठा साम्राज्य से वह बड़ी मुश्किल से पार पा सकी थी और दक्षिण में हैदर अली से हार रही थी। ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को और कम करने के लिए पिट का इंडिया एक्ट (1884) पारित करने वाली थी। उस समय बने उक्त विभाग ने राजनय का क्षेत्र में अपनी भूमिका का निरंतर विकास किया। आज की भारतीय विदेश सेवा उसी विभाग का आधुनिक रूप है।


भारत में ब्रिटिश सत्ता 1843 तक बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। उसके लिए केवल पंजाब पर कब्जा जमाना बाकी था। लेकिन विभिन्न चार्टर कानूनों के लागू हो जाने से ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले जैसा रूतबा नहीं रह गया था। बेहतर प्रबंधन के लिए ब्रिटिश सत्ता ने विदेश विभाग को पुनर्गठित करने का फैसला किया। गवर्नर जनरल एलनबरो ने प्रशासनिक सुधार करते हुए निम्न चार विभाग गठित किए: विदेश, गृह, वित्त और सैन्य विभाग।

सितंबर 1946 में भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था। नवगठित देश के लिए संस्थाओं के नए नाम और संरचना ज़रूरी थी। अन्य देशों में देश के राजनयिक, काउंसिलर और राजनयिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय विदेश सेवा (इंडियन फ़ॉरेन सर्विस-आईएफएस) का गठन किया गया।

आईएफएस विश्व की सबसे कठिन प्रतिस्पर्धी और व्यापक स्वरूप वाली सेवा है जिसने वैश्विक राजनयिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसने विभिन्न रूपों से अन्य देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों का प्रबंधन किया है। इन रूपों में, तरीकों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना तथा देश के हितों को बनाए रखना,

देश के मैत्रीपूर्ण विदेशी सम्बन्धों को बनाए रखना तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और विदेशों से राजनयिक महत्व की जानकारियां जुटा कर सरकार को प्रस्तुत करना शामिल है।

भारतीय विदेश सेवा विदेशों में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और ऐसी जानकारियों को प्राप्त तथा विश्लेषित करती है। जिसके आधार पर विदेश नीति संबंधी मुख्य फैसले लिए जाते हैं। इस शाखा का आधार विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो अन्य देशों के साथ भारत के हितों को बनाए रखते हुए परस्पर शांति और समृद्धि के लिए काम करते हैं। उनके काम का दायरा बहुत विस्तृत है जिसमें



लेखक किंग्स कॉलेज, लंदन (यूके.) के रक्षा अध्ययन विभाग में 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध' विषय के प्रोफेसर हैं। ईमेल: harsh.pant@kcl.ac.uk



राजनैतिक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर भारत के हितों को बनाए रखना और विभिन्न देशों में जा रहे अथवा वहां से आ रहे भारतीय नागरिकों की मदद करना है।

निरंतर वैश्वीकृत हो रही दुनिया में प्रभावी विदेश सेवा का बहुत अधिक महत्व है। वैश्विक राजनीति में प्रमुख ताकत बनने का संकल्प रखने वाली भारत जैसी उभरती विश्व-शक्ति के लिए तो यह खास तौर से महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय विदेश सेवा के अंतर्गत कार्यरत भारतीय राजनयिकों ने भारत को विश्व-शक्ति बनाने की दिशा में कारगर भूमिका निभाई है। आज


की भारतीय विदेश सेवा की स्थापना 9 अक्टूबर 1946 को हुई और इसी वर्ष (अक्टूबर 2021 में) यह 75 वर्ष पूरे कर लेगी। इस दौर में, इस सेवा ने भारत को वैश्विक महत्व का आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनाते देखा है। इस समय, इस सेवा के करीब 850 अधिकारी भारत के 193 दूतावासों और पोस्टों तथा भारत में विदेश मंत्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत हैं। ये अधिकारी द्विपक्षीय राजनैतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन, सांस्कृतिक संपर्क, प्रेस तथा मीडिया संपर्क सहित अनेक आपसी और बहुपक्षीय मुद्दों को देखते हैं।


मूलतः भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों, कोंसुलेटों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अधिकारी अपनी तैनाती के देश में भारत के हितों की रक्षा करते हैं; उन देशों और वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों सहित उन देशों के नागरिकों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयास करते हैं; उनकी तैनाती के देश के घटना-क्रम के बारे में प्रामाणिक तरीके से रिपोर्ट पेश करते हैं ताकि भारत की नीतियां उसी के अनुरूप तय की जा सकें; तैनाती के देश या संगठन के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और समझौते, करार आदि करने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करते हैं तथा विदेश में भारतीयों तथा वहां के नागरिकों को काउंसलर सेवाएं प्रदान करते हैं।

शीत युद्ध के दौर की तुलना में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था काफी बदल गई है। तो दूसरे विश्व युद्ध की यादें ताजा थीं और भारत ने दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी प्रभाव-क्षेत्र में न रहने का फैसला किया था। आज का भारत प्रमुख विश्व-शक्ति बनने का आकांक्षी है और अपनी भौगोलिक सीमाओं के बाहर भी अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। वैश्विक स्तर पर अपने संवाद-संपर्कों का विस्तार कर, भारत अब नियमों के मात्र पालनकर्ता से बढ़ कर नियम-निर्माता बनने का आकांक्षी है।

इस नई दुनिया के दौर में, विदेश मंत्रालय शीत युद्ध के जमाने की नीतियों के दायरे में नहीं सिमट सकता। बदलते समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए भी हैं। लेकिन आईएफएस की अपनी सीमाएं हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए इस सेवा में अधिकारियों की

**भारतीय विदेश सेवा विदेशों में
भारत के हितों का प्रतिनिधित्व
करती है और ऐसी जानकारियों
को प्राप्त तथा विश्लेषित करती है
जिसके आधार पर विदेश नीति
संबंधी मुख्य फैसले लिए जाते हैं।**





संख्या बहुत कम है। इस विशिष्ट सेवा के लिए अधिकारियों की चयन प्रक्रिया भी ज्यादा समग्र होनी चाहिए। साथ ही, विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्र से विशेषज्ञों को, पदानुक्रम के बीच में लेकर अथवा दूसरे तरीकों से, शामिल करने को लेकर उदासीन बनी हुई है। आईएफएस के विकास में एक बड़ी बाधा इसकी सीमित दायरे की चयन प्रक्रिया है जो इस सेवा की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। अगर इसे एक श्रेष्ठ संस्था बनाया जाना है तो इसकी चयन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि केवल इस सेवा में ही आने के इच्छुक युवा इसके लिए आवेदन करें। इसे किसी संयुक्त आवेदन प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही, चूंकि विदेश नीति से जुड़े मुद्दों के निर्वहन के लिए देश के अंदर के मुद्दों के लिए आवश्यक नीतियों के निर्वहन से अलग तरीके के कौशल चाहिए, आईएफएस में नियुक्ति के मानदंडों का भी विस्तार किया जाना ज़रूरी है।

आईएफएस में सुधार लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसकी चयन प्रक्रिया ऐसी बनाई जानी चाहिए जो हर वर्ष बड़ी संख्या में आवेदकों को सही निर्देश से सके, साथ ही सेवा को गुणवत्ता में भी किसी प्रकार की रियायत न दी जाए। आईएफएस में दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लाने की नीति सुनियोजित तरीके से विभिन्न चरणों में लागू की जानी चाहिए जिसमें सेवा के विभिन्न स्तरों/पदों के अधिकारियों के बीच समुचित संतुलन बना रहे। इस सेवा को दुनिया भर में राजनयिक क्षेत्र के बड़े परिवर्तनों और राजनय के



आईएफएस की एक बड़ी उपलब्धि

यह रही है कि भारत 2021-22

के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए, अब तक प्राप्त सर्वाधिक मतों से चुना गया है। कोरोना-काल में विदेशों में फंसे

भारतीयों को स्वदेश लाने के विराट प्रयास-वंदे भारत मिशन की सफलता में आईएफएस की बड़ी भूमिका रही है। 150 से अधिक देशों को कोविड महामारी की दबाएं और मेडिकल साज-सामान पहुंचाने के बड़े प्रयास को सफल

बनाने के लिए आईएफएस अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कायकर्ताओं के साथ मिल कर अथक परिश्रम किया।

विविध प्रकारों के साथ भी सामंजस्य बनाना होगा, जिनकी प्रार्थना

बढ़ रही है, जैसे लोक-केन्द्रित और डिजिटल डिप्लोमेसी आदि।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वयं को इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाली और डिजिटल शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। आईएफएस को इस विजय को भी आगे बढ़ाना है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आईएफएस में सुधार लाने के लिए, पहले देश के शिक्षा संस्थानों-स्कूलों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा को इतना बेहतर बनाना होगा ताकि आईएफएस जैसी सेवा में सफल हो पाने वाले विद्यार्थियों की पीढ़ी तैयार हो सके।

आलोचनाओं के बावजूद, भारत पिछले कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना महत्व बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान, आईएफएस की एक बड़ी उपलब्धि यह रही है कि भारत 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए, अब तक प्राप्त सर्वाधिक मतों से चुना गया है। कोरोना-काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के विराट प्रयास-वंदे भारत मिशन की सफलता में आईएफएस की बड़ी भूमिका रही है। 150 से अधिक देशों को कोविड महामारी की दबाएं और मेडिकल साज-सामान पहुंचाने के बड़े प्रयास को सफल बनाने के लिए आईएफएस अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने सरकारी और निजी क्षेत्र के

कायकर्ताओं के साथ मिल कर अथक परिश्रम किया।

एक असरदार विदेश सेवा भारत के हितों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सर्वाधिक विकसित देश भी अपने हितों को बनाए रखने के लिए अन्य देशों पर निर्भर होते हैं और यही स्थिति भारत की भी है। चूंकि कोई भी देश आज की दुनिया में अकेले नहीं चल सकता, इसलिए आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के लिए पुखा विदेश नीति अपनाना अनिवार्य है ताकि ये देश अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनयिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर सकें। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में, भारत का सुरक्षित और समृद्ध स्थान बनाए रखने में भारतीय विदेश सेवा निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। ■

लोक सेवाओं में सुधार

समीरा सौरभ

लोक सेवा, सरकार के कामकाज के संचालन के लिए आवश्यक है। औपनिवेशिक काल से ही लोक सेवा को भारत में प्रशासन का 'लौह ढांचा (स्टील फ्रेम)' माना जाता है। लोक सेवा की यह औपनिवेशिक विरासत वैश्वीकरण के इस तेजी से बदलते युग में भी चली आ रही है। इसी संदर्भ में लोक सेवा में सुधार सुशासन का अतिआवश्यक अंग हो गया है। सेवाओं को कारगर ठंग से जन-जन तक पहुंचाने हेतु लोक सेवा में नई सोच और पुनः अभिविन्यास की आवश्यकता है।

लोक सेवा का तात्पर्य ऐसे करियर लोक सेवकों से हैं जो

भारत गणराज्य की स्थायी अधिशासी शाखा हैं। लोक सेवा देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में, प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों (जनता द्वारा निर्वाचित) यानी केंबिनेट मंत्रियों और संसद के सदस्यों की है। मंत्रीगण नीतियां निर्धारित करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का काम भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्यरत लोक सेवकों का है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों को राजनीति से प्रेरित प्रतिशोधी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है।

भारत में लोक सेवा का विकास

प्राचीन भारत

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक ढांचे के सप्तांग का वर्णन है— स्वामी (शासक), अमात्य (नौकरशाह), जनपद (क्षेत्र), दुर्ग (किला बंद राजधानी), कोष (खजाना), दंड (सेना) और मित्र (सहयोगी)। अर्थशास्त्र के अनुसार नौकरशाही के ऊंचे स्तर में मंत्री और अमात्य शामिल होते थे। मंत्री, राजा के सबसे ऊंचे दर्जे के सलाहकार और अमात्य लोक सेवक हुआ करते थे।

मध्यकालीन भारत: मुगल काल के दौरान नौकरशाही मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मनसबदारी प्रणाली मूल रूप से लोक सेवकों का समूह थी जिन्हें असैन्य या सैन्य सेवा में तैनात किया जाता था।

ब्रिटिश भारत: ब्रिटिश भारत में मैकॉले की 1835 की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से लोक सेवा में बड़े बदलाव आए। मैकॉले की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि सिर्फ सर्वश्रेष्ठ और मेधावी लोग ही ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति के लिए भारतीय लोक सेवा में शामिल होंगे।

स्वतंत्रता पश्चात: स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोक सेवा प्रणाली में ब्रिटिश ढांचे के कुछ तत्वों जैसे शैक्षिक उपलब्धियों पर आधारित खुली प्रवेश प्रणाली और स्थाई कार्यकाल को एकीकृत प्रशासनिक

व्यवस्था के तौर पर जारी रखा गया।

1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के पश्चात् भारत के विभाजन के साथ ही भारतीय लोक सेवा का भी भारत और पाकिस्तान के नए शासन के बीच बंटवारा हो गया। आईसीएस को भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा और पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा कहा गया। आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 312 (दो) और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया।

लोक सेवाओं का वर्गीकरण

भारत के संविधान के भाग 14 में भारत हेतु सेवाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इस अध्याय का नाम केंद्र और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं रखा गया है। संविधान में सेवाओं के प्रकार और श्रेणियों का विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार हम सेवाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं— अखिल भारतीय सेवाएं (एआईएस), राज्य सेवाएं एवं स्थानीय तथा नगर निगम सेवाएं। केंद्रीय सेवा के चार समूह हैं—केंद्रीय सेवा समूह क, ख, ग और घ।



लेखिका भारत सरकार में निदेशक हैं तथा विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, जी-20, ब्रिक्स, ग्रामीण विकास और वाणिज्य के क्षेत्रों में नीतियां बनाने से लेकर उनके कार्यान्वयन का अनुभव है। ईमेल: sameera.saurabh@gmail.com

चुरई कनारन

भारत में पहले उप कलेक्टर

चुरई कनारन (1812), थिव्यार कुलीन पुरुष, भारत में पहले उप कलेक्टर, उस समय किसी भारतीय के लिए सबसे ऊंचा पद।

लोक सेवा का बीज 1854 के नोर्थकोट-त्रिवेलयान सुधार अपनाए जाने से पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में लोक सेवाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया- प्रसविदाबद्ध, अप्रसविदाबद्ध और विशेष लोक सेवाएं। प्रसविदाबद्ध लोक सेवा को सम्मानीय ईस्ट इंडिया कंपनी की लोक सेवा (एचईआईसीसीएस) के नाम से जाना जाता था और इसमें मुख्य रूप से सरकार के शीर्ष पदों पर विराजमान लोक सेवक शामिल होते थे।

अनकॉविनेटेड (अप्रसविदाबद्ध) लोक सेवा की शुरुआत केवल प्रशासन के निचले स्तर पर भारतीयों को प्रवेश देने के लिए की गई थी। विशेष सेवा में भारतीय बन सेवा, इंपीरियल पुलिस और भारतीय राजनीतिक सेवा जैसे विशिष्ट विभाग थे जिनके सदस्य प्रसविदाबद्ध लोक सेवा या भारतीय सेना से लिए जाते थे। इंपीरियल पुलिस के सदस्यों में भारतीय सेना के कई अधिकारी शामिल

थे, यद्यपि 1893 के बाद उसके अधिकारियों के चयन के लिए वार्षिक परीक्षा शुरू की गई। 1858 में एचईआईसीसीएस के स्थान पर भारतीय लोक सेवा (आईसीएस) शुरू की गई जो 1858 और 1947 के बीच भारत में सर्वोच्च लोक सेवा रही। आईसीएस में अंतिम नियुक्ति 1942 में की गई थी।



ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किए जाने के साथ ही भारत के लिए नियुक्त मंत्री की देखरेख में भारतीय लोक सेवा को दो भागों में बांटा गया, अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा। 1946 में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय मन्त्रिमंडल ने भारतीय लोक सेवा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं इंपीरियल पुलिस के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा गठित करने का फैसला लिया।

केंद्रीय सेवा के समूह क में 34 प्रकार हैं। इनमें से कुछ हैं भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय रेलवे सेवा इत्यादि। समूह ख की सेवाओं में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं- केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा।

भारत में संपूर्ण लोक सेवा तंत्र में कार्मिक संवर्गों में सबसे अधिक संख्या केंद्रीय सचिवालय सेवा और भारतीय राजस्व सेवा (आईटी एवं सी तथा सीई) में है। लोक सेवक भारत सरकार या राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं लेकिन सरकार का हर कर्मचारी लोक सेवक नहीं होता। 2010 तक भारत में 64 लाख सरकारी कर्मचारी थे लेकिन उनमें से 50,000 से भी कम लोक सेवक थे।

भारत सरकार ने 2015 में भारतीय कौशल विकास सेवा, और 2016 में भारतीय उद्यम विकास सेवा के गठन को स्वीकृति दी थी। इसके अतिरिक्त 2019 में केन्द्रीय मन्त्रिमंडल ने रेलवे तंत्र में संरचनात्मक सुधार के तहत भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाली सभी लोक सेवाओं के विलय से एकीकृत भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के गठन की स्वीकृति दी थी।

सरकार ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सोच समझ कर लोक सेवा में सुधार किया ताकि नीतियों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके। हाल के समय में

प्रौद्योगिकी उन्नयन, अधिक विकेंद्रीकरण तथा सामाजिक सक्रियता के कारण वैश्विक स्तर पर बदलाव तेज हुआ है। सरकार समझ रही है कि इन बदलावों के असर से सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन के जरिए बेहतर

‘प्रशासनिक प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है। संघ चला जाएगा, अगर आपके पास ऐसी अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं है जिसे अपनी राय देने की आज्ञादी हो, जिसे यह विश्वास हो कि आप उसके काम में उसका साथ देंगे तो अखंड भारत नहीं बना सकते। अगर आप इस प्रणाली को नहीं अपना सकते तो मौजूदा संविधान का पालन न करें। इसकी जगह कुछ और व्यवस्था करें..... यह लोग औजार हैं। इन्हें हटाने पर और मुझे देशभर में उथल-पुथल की स्थिति के सिवा और कुछ नजर नहीं आता।’

- भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा के दौरान सरदार बल्लभभाई पटेल

प्रशासन की अपेक्षा बढ़ रही है। लोक सेवा, सरकार का प्रमुख अंग है इसलिए उसे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलते समय के अनुसार कदम से कदम मिलाना होगा। ‘सुधार’ का उद्देश्य लोक सेवा का पुनर्विन्यास कर उसे जन सेवाएं प्रदान करने हेतु ओजस्वी, कारगर और जवाबदेह तंत्र बनाना है जो सदाचार एवं सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और तटस्थिता के मूल्यों से संचालित हो। सुधार से तात्पर्य है नागरिकों तक पहुंचने वाली जन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना तथा सरकार के मूल क्रियाकलाप की क्षमता में संवर्धन करना जिसके फलस्वरूप सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

भारतीय लोक सेवाओं की कमियां

- क्षमता निर्माण में कमज़ोरी
- अकुशल प्रोत्साहन प्रणालियां जिसमें ईमानदार और उत्कृष्ट लोक सेवकों को सराहने की बजाय भ्रष्ट और अक्षम लोगों को सम्मानित किया जाता है।
- समयान्तीत नियम और कार्य प्रक्रियाएं जो लोक सेवक के प्रभावी ढंग से काम करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।



- पदोन्नति और मनोनयन में सर्वांगी असंगतियाँ।
- पर्याप्त पारदर्शी और जवाबदेही प्रक्रियाओं का अभाव-विस्तृतब्दों अर्थात् यानि चेतावनी देने वालों के लिए कोई सुरक्षा भी नहीं है।
- मनमाने और सनक से किए गए तबादले- कार्यकाल की असुरक्षा से संस्थानीकरण में बाधा आती है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक मिलीभगत
- पदोन्नतियों, कार्य आवंटन और कामों में कुछ विशिष्ट सेवाओं का वर्चस्व।

संरचनात्मक मुद्दे

सामान्य अधिकारी बनाम विशेषज्ञ अधिकारी: लोक सेवाओं की स्थापना मुख्यतः सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सरकारी आदेशों को लागू करने जैसे शासन के मुख्य कामकाज करने हेतु की गई है।

हालांकि, वैश्वीकरण और अर्थिक सुधारों के आरंभ होने से बदलती जरूरतों के कारण शासन की भूमिका में परिवर्तन आया है। अतः प्रौद्योगिकी के क्रमिक विकास (उदाहरणस्वरूप साइबर सुरक्षा) और जटिल कारोबारी, व्यापारिक एवं कानूनी पहलुओं के कारण नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं जिसका सरकार को मार्ग निर्देशन करना होगा। इसलिए नीतिगत स्तर पर क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान के लिए (विशेषज्ञ अधिकारियों की) अधिक मांग है। भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांस्कृतिक सेवा जैसी मौजूदा विशेषज्ञ सेवाओं के भीतर यह भावना बढ़ रही है कि इन्हें जिस काम के लिए प्रशिक्षित किया गया है उसके लिए न तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है और न ही अवसर। भारत सरकार में अधिकांश प्रतिष्ठित पदों पर विशिष्ट सेवाएं हावी हो जाती हैं जिससे प्रतिभा का असमान उपयोग होता है तथा अन्य सेवाओं के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

नए सुधार: मिशन कर्मयोगी

सरकार ने लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से एक नए व्यापक लोक सेवक सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। अपने पहले कार्यकाल से ही प्रधानमंत्री लोक

सेवाओं में सुधार पर जोर दे रहे हैं।

सरकार की नीतिगत परामर्श संस्था नीति आयोग के पास 2018 की ऐतिहासिक रिपोर्ट में इस मुद्दे को समर्पित अध्याय है। नए भारत@75 हेतु रणनीति रिपोर्ट में “जन सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण और कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन में सुधार करने का तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया है ताकि नव भारत 2022 (न्यू इंडिया) के लिए परिकल्पित विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।”

सरकार ने 2 सितंबर 2020 को यह घोषणा की थी कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत लोक सेवकों को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक कल्पनाशील, नवप्रवर्तनशील, सक्रिय पेशेवर, प्रगतिशील, ओज़स्की, सामर्थ्यवान पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक सेवा क्षमता निर्माण के लिए नई राष्ट्रीय व्यवस्था अर्थात् “मिशन कर्मयोगी” को स्वीकृति दी थी जिसका उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियाओं के स्तर पर क्षमता निर्माण के ढांचे का कायाकल्प करना है। केंद्र सरकार के 46 लाख कर्मचारियों को लक्षित करने वाली यह पहल “शासन, कार्य-निष्पादन और जवाबदेही” के तीन स्तंभों पर टिकी होगी। इसमें कहा गया है कि नियमों की जगह भूमिकाओं को, संपर्कहीनता की जगह तालमेल, बहु-विभागीय संपर्क को महत्व दिया जाएगा तथा क्षमता निर्माण के अनवरत कार्यक्रम होंगे।

सरकार ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सोच समझ कर लोक सेवा में सुधार किया ताकि नीतियों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके। हाल के समय में प्रौद्योगिकी उन्नयन, अधिक विकेंद्रीकरण तथा सामाजिक सक्रियता के कारण वैश्विक स्तर पर बदलाव तेज हुआ है।

सुधार का मूलभूत उद्देश्य ‘जन केंद्रित लोक सेवा’ का निर्माण करना है जो अर्थिक वृद्धि और जनकल्याण के लिए हितकारी सेवाओं का विकास और डिलीवरी करने में सामर्थ्यवान हो। तदनुसार मिशन कर्मयोगी में “नियम आधारित प्रशिक्षण की जगह भूमिका आधारित प्रशिक्षण” को महत्व दिया गया है। अधिक जोर व्यवहारात्मक परिवर्तन पर दिया गया है।

राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि यह भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं की परिधि

में रहने के साथ-साथ दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धतियों एवं संस्थानों से अध्ययन संसाधन प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना की जाएगी।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद तथा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित मानव संसाधन पेशेवर (एचआर प्रैक्टिशनर), राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इस संपूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम की निगरानी करेंगे।

प्रशिक्षण मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने, साझा फैकल्टी और संसाधन तैयार करने तथा सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर नज़र रखने के लिए क्षमता निर्माण आयोग नाम से विशेषज्ञ संस्था बनाई जाएगी। धारा 8 के अंतर्गत लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजन व्यवस्था (स्पेशल पर्सनल), एसपीवी की स्थापना की जाएगी जिसके पास आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म का स्वामित्व होगा तथा उसका प्रबंधन करेगी। एसपीवी के पास भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व होगा।

आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म के सभी उपयोगकर्ताओं के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु एक उपयुक्त निगरानी और आकलन ढांचा भी तैयार किया जाएगा ताकि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को डैशबोर्ड पर दिखाया जा सके।

कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए आईजीओटी मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 12 लाख 73 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने 3 महीने के भीतर विभिन्न अवधियों के 17 लाख 66 हजार कोर्स पूरे किए।

आईजीओटी कर्मयोगी अध्ययन सामग्री के लिए जीवंत एवं विश्वस्तरीय मंच के रूप में उभर सकता है जहां सोच-समझ कर तैयार जांची-परखी डिजिटल ई-अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। क्षमता निर्माण के अलावा परिवीक्षा अवधि, तैनाती, कार्य तथा रिक्वियों की अधिसूचना जैसी सेवाएं प्रस्तावित दक्षता ढांचे में अंतः एकीकृत हो जाएंगी।


लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्लेटफार्म पर जोड़ने के लिए 2020-21 से 2024-25 की 5 साल की अवधि में 510 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय लोक सेवक को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक और नागरिक हितकारी बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। सरकार ने कहा है कि नोडल भर्ती एजेंसी के जरिए उसके द्वारा पिछले महीने लाए गए सुधार के बाद यह संपूर्ण संवर्ग और पदों-कॉन्स्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक, सहायक सेवक अधिकारी से लेकर सचिवालय स्तर तक के लिए भर्ती के बाद का सुधार कार्यक्रम होगा। करियर के मध्य में प्रशिक्षण अब केवल शीर्ष स्तर के अधिकारियों की बजाय सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा तथा उनके विवरण एवं मूल्यांकन अनवरत जारी रहेंगे। अगर विशेष नियुक्ति की

जरूरत पड़ती है तो नज़रिए और परिप्रेक्ष्य पर निर्भर रहने की बजाय प्रौद्योगिकी की मदद से अधिकारियों के विवरण को देखकर कर भर्ती की जा सकती है।

मुख्य विशेषताएं

ऐसी आशा है कि यह सुधार लोक सेवकों की क्षमता निर्माण की नींव रखेंगे ताकि वह भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं की परिधि में रहें तथा अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहने के साथ-साथ दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और पद्धतियों से भी सीख लें। यह कार्यक्रम एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना के साथ शुरू होगा। कार्यक्रम के मुख्य निर्देशन सिद्धांत हैं—

1. 'नियम आधारित' से 'भूमिका आधारित' एचआर प्रबंधन की तरफ बढ़ने में सहयोग देना। पद की आवश्यकताओं के अनुरूप लोक सेवकों की दक्षता को देखते हुए काम आवंटित करना।
2. 'कार्यस्थल पर सीखने (ऑनसाइट लर्निंग)' के पूरक के रूप में 'कार्यस्थल के बाहर सीखने (ऑफसाइट लर्निंग)' पर जोर देना।
3. अध्ययन सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का तंत्र तैयार करना।
4. सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे (एफआरएसी) संबंधी दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित करना तथा प्रत्येक सरकारी संस्थान में चिह्नित एफआरएसी हेतु उपयुक्त अध्ययन सामग्री का सृजन करना और सुलभ कराना।
5. सभी लोक सेवकों को सीखने की आत्म-प्रेरित तथा अधिदेशित प्रक्रिया में अपने व्यवहार, क्रियाकलाप और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।
6. सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों एवं उनके संगठनों को समर्थ बनाना कि वे वार्षिक वित्तीय सब्सिडीजन के जरिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए अध्ययन सामग्री के सह-सृजन तथा सहयोगी एवं समान तंत्र को साझा करने हेतु अपने संसाधनों का सीधे निवेश करें।
7. सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों स्टार्टअप तथा व्यक्तिगत विशेषज्ञों सहित सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री का सृजन



मिशन कर्मयोगी: राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के छह स्तंभ नागरिकों को सेवा देने हेतु दक्षता निर्माण

- ◆ नीतिगत ढांचा
- ◆ संस्थागत ढांचा
- ◆ दक्षता ढांचा
- ◆ डिजिटल अध्ययन सामग्री ढांचा आईजीओटी कर्मयोगी
- ◆ इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
- ◆ मूल्यांकन एवं आकलन ढांचा


करने वालों को प्रोत्साहित करना तथा उनके साथ भागीदारी करना।

8. क्षमता निर्माण, अध्ययन सामग्री का सूजन, उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में आईजीओटी कर्मयोगी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का विश्लेषण करना तथा दक्षता निर्धारण और नीतिगत सुधार हेतु क्षेत्रों का चयन करना।

सहयोगी और सहभागी क्षमता निर्माण तंत्र का प्रबंधन और नियमन करने में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु क्षमता निर्माण आयोग गठित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

आयोग की भूमिका इस प्रकार होगी-

- वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दिलाने में प्रधानमंत्री सार्वजनिक संसाधन मानव संसाधन परिषद को सहयोग करना।
- लोक सेवाओं के क्षमता निर्माण से जुड़े सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के कामकाज का निरीक्षण करना।
- आंतरिक और बाहरी फैकल्टी तथा संसाधन केंद्रों सहित साझा अध्ययन संसाधन का सूजन करना।
- संबद्ध विभागों के साथ क्षमता निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय और निरीक्षण करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, शिक्षणशास्त्र तथा कार्यप्रणाली के मानकीकरण पर सिफारिशें देना।
- सभी लोक सेवाओं के करियर के मध्य में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नियम स्थापित करना।
- सरकार को एचआर प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव देना।



'सुधार' का उद्देश्य लोक सेवा का पुनर्विन्यास कर उसे जन सेवाएं प्रदान करने हेतु ओजस्वी, कारगर और जवाबदेह तंत्र बनाना है जो सदाचार एवं सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और तटस्थिता के मूल्यों से संचालित हो। सुधार से तात्पर्य है नागरिकों तक पहुंचने वाली जन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना तथा सरकार के मूल क्रियाकलाप की क्षमता में संवर्धन करना जिसके फलस्वरूप सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

दूरमापी डाटा उपलब्धता से जुड़े आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म की मुख्य कारोबारी सेवाओं का प्रबंधन करेगी। एसपीबी के पास भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार का स्वामित्व होगा। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म के सभी उपयोगकर्ताओं के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया जाएगा ताकि प्रदर्शन के मुख्य संकेतकों को डैशबोर्ड पर दिखाया जा सके।

केंद्रीय मन्त्रिमंडल ने इस वर्ष आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण को भी स्वीकृति दी है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की उत्पादन शाखा है तथा 41 आयुध निर्माणियों का समन्वय करता है। हालांकि ओएफबी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा तथा सरकार उनके हितों की सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है। विभिन्न उत्पादन इकाइयों के सभी ओएफबी कर्मचारियों (समूह क, ख, और ग) का तबादला सरकारी कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवा शर्तों को बदले बिना मानित (डीम्ड) प्रतिनियुक्ति पर शुरूआत में 2 वर्ष की अवधि हेतु नियम इकाइयों में किया जाएगा।

निष्कर्ष

लोक सेवकों के क्षमता संवर्धन की विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा शासन के मूल क्रियाकलापों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नागरिकों तक सेवाएं कुशलतापूर्वक पहुंचाने के उद्देश्य से लोक सेवा क्षमता के निर्माण के लिए कार्य

वित्तीय आवश्यकता

लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कार्यक्रम से जोड़ने में 2020-21 से 2024-25 तक की पांच साल अवधि में 510 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह खर्च 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर आंशिक रूप से बहुस्तरीय सहायता द्वारा वित्त पोषित होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एनपीसीएससीबी हेतु विशेष प्रयोजन व्यवस्था (स्पेशल पर्सन व्हीकल एसपीबी) स्थापित की जाएगी। एसपीबी गैर-लाभकारी कंपनी होगी तथा उसके पास आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म का स्वामित्व होगा और उसका प्रबंधन करेगी। एसपीबी सामग्री का सूजन और संचालन करेगी, उन्हें एक जगह सम्मिलित करने से जुड़ी गतिविधियां तैयार करेगी तथा सामग्री की पुष्टि, स्वतंत्र मूल्यांकन के निरीक्षण एवं

मिशन कर्मयोगी: आम आदमी हेतु लाभ

नागरिकों की ज़रूरतों के लिए लोक सेवकों को उत्तरदायी बनाया जा रहा है

लोक सेवाओं के एचआर प्रबंधन में आमूल परिवर्तन लाना

सुनिश्चित करना कि सही पद पर सही दक्षता के साथ सही व्यक्ति हो

लोक सेवक को नागरिकों की ज़रूरत हेतु अधिक कुशल, कारगर, जवाबदेही और उत्तरदायी बनाना।

कार्यक्रम से शासकीय प्रणाली की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा

- संस्कृति का कायाकल्प, सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर लोक सेवा क्षमता में क्रांतिकारी
- कायाकल्प का प्रस्ताव है। देश का भविष्य नौकरशाही में सुधार के बिना प्रगतिशील नहीं हो सकता।

सेवा का युक्तिकरण और समन्वय समय की मांग है। सेवाओं के युक्तिकरण और समन्वय के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग-अलग लोक सेवाओं को कम करने की जरूरत है। अध्यर्थियों को प्रतिभा की केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जिसके बाद उम्मीदवार की क्षमताओं तथा पद के कार्य विवरण को देखते हुए उम्मीदवारों को कार्यभार दिए जाएंगे। मौजूदा लोक सेवकों को भी उनकी शैक्षिक विशेषज्ञता तथा कार्यस्थल पर प्राप्त व्यावहारिक अनुभव के आधार पर कार्य सौंपे जाने चाहिए। एक बार परीक्षा लेने, पद आवंटन तथा तदनुसार जीवन भर सुविधाओं देने पर अत्यधिक जोर दिए जाने की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। लोक सेवक, प्रधान जन सेवक होते हैं, उनके लिए उत्कृष्टता की कसौटी संभांता नहीं बल्कि यह होनी चाहिए कि वे जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ कितने जुड़े हुए हैं। लोक सेवा सुधारों को सेवाओं की पुरानी संरचना और संस्कृति का पुनर्विन्यास करना चाहिए तथा औपनिवेशिक परंपरा का त्याग करना चाहिए ताकि

मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग सरकारी कर्मचारियों को रचनात्मक, सक्रिय और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाकर सशक्त करेगा



शासन प्रक्रिया और नीति निर्माण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु प्रमुख सुधार अभियान

नागरिकों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता और संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सके जो कि सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। ■

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और सशक्त तथा संगठित भारत की भावना को मजबूत बनाने वाले उत्कृष्ट और प्रेरक योगदान को मान्यता देना है। पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को की जाएगी जो सरदार पटेल की जयन्ती भी है।

पुरस्कार में एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ कोई आर्थिक सहायता या नकद पुरस्कार नहीं दिया जाता। एक वर्ष में तीन से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। अपवाद और अत्यधिक विशेष मामलों को छोड़कर, यह पुरस्कार मरणोपरान्त नहीं दिया जाएगा।

पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा चाहे वह किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, आयु या व्यवसाय का हो और पुरस्कार के लिए व्यक्ति/संस्थान/संगठन भी आवेदन करने के पात्र होंगे।

पुरस्कार के लिए मानदंड : पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा देने और उसे मजबूत करने की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रयास अथवा विशिष्ट योगदान किया हो जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले और सशक्त एवं संगठित भारत की भावना को बल मिले।


आवेदन करने का तरीका : हर वर्ष सार्वजनिक रूप से नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेजने होंगे।

कोई भी भारतीय नागरिक या संस्थान अथवा भारत में स्थित कोई भी संगठन इस पुरस्कार के लिए विचारार्थ किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है। व्यक्ति स्वयं को भी नामित कर सकते हैं।

पुरस्कार के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से भी सुझाव और सिफारिशें आमंत्रित की जा सकती हैं जो अपनी-अपनी सिफारिशों ऑनलाइन ही भेजेंगे।

पुरस्कार के लिए नामांकन 15 अगस्त, 2021 तक भेजे जा सकते हैं।

अधिक विवरण के लिए देखें वेबसाइट - www.nationalunity.mha.gov.in



कोरोना महामारी के सबक

डॉ राकेश कुमार

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में साढ़े तीन लाख से भी ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी¹ मरने वाले तकरीबन 88 प्रतिशत लोग 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के थे², जो अपने परिवार के लिए आजीविका हासिल करने का एकमात्र माध्यम थे। इन मौतों से कई परिवारों और बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो गया। हमारे आसपास ऐसे पीड़ित लोग मौजूद हैं। देश में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही, हमें अपने-आप से यह सवाल पूछना चाहिए- भारत किस तरह से ऐसी तैयार कर सकता है कि उसे आगे फिर कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े?

को

रोना महामारी की वजह से हुई त्रासदी की कड़वी यादें लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगी। इस महामारी ने दोहरा संकट पैदा किया है और इससे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, दोनों पर काफी प्रतिकूल असर हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक, लॉकडाउन की वजह से कम से कम 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए³ संकट और उथल-पुथल के इस दौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने पर फोकस के साथ-साथ 'सबको स्वास्थ्य सुविधा' की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज)


यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के तहत किसी तरह के वित्तीय बोझ के बिना सभी लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात है, जिसमें बीमारियों की रोकथाम, इलाज समेत अन्य तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के अनुभव ने साबित किया है कि सतत विकास से जुड़े कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना कारगर हो सकती है। यूएचसी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है।



लेखक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव रह चुके हैं।



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार



दूसरे लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए अपने कार्यालय की सीटों को फिर से व्यवस्थित करें



अपने सहकर्मियों से हमेशा 6 फुट की दूरी बनाए रखें

सफाई, दवाई, कड़ाई
जीतेंगे कोरोना से लड़ाई

कोरोना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 (टॉल फ्री) पर संपर्क करें

mohfw.gov.in

[@MoHFWIndia](#)

[@MoHFW_INDIA](#)

[@mohfwindia](#)

[@mohfwindia](#)

[@mohfw_india](#)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 2007 में जारी सलाह के मुताबिक, स्वास्थ्य प्रणाली को 6 ब्लॉक में बांटा गया है— सेवाओं की डिलीवरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रणाली, जरूरी दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था⁴ यूएचसी से जुड़े 3 नीतिगत सेवाओं के जवाब देकर स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़े इन ब्लॉक की कार्यप्रणाली को कारगर बनाया जा सकता है— इसके दायरे में किन्हें शामिल किया गया है (कितनी बड़ी आबादी इसके दायरे में है), कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं (कार्यक्रम और सेवाओं का दायरा), कवरेज की रकम क्या है (कार्यक्रम का वित्तीय ढांचा)⁵

एशिया-प्रशांत के लिए यूएचसी के सबक

पूरी दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रहती है। तकरीबन 26.3 करोड़ गरीब इस क्षेत्र में रहते हैं जो 1.90 डॉलर रोज पर गुजारा करते हैं। साथ ही, इस क्षेत्र के 1.1 अरब लोग 3.20 डॉलर रोजाना पर गुजर-बसर करते हैं। दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होने वाली मौतों में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत है। साथ ही, प्रसूताओं और नवजात की मौत के मामले में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 44 प्रतिशत और 56 प्रतिशत है। इसी तरह, बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ने और कम बजन वाले बच्चों के जन्म के मामले में इस क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 60 प्रतिशत और 66 प्रतिशत है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवासी आबादी भी है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च काफी कम है। हालांकि, कुछ देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च में बढ़ोत्तरी कर यूएचसी की दिशा में

प्रगति हासिल की है। इन उपायों का इन देशों पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। हमारे पड़ोसी देशों की सफलता की कहानियां इस बात को समझने में मददगार साबित हो सकती हैं कि यूएचसी पर केंद्रित उनकी स्वास्थ्य प्रणाली का मौजूदा महामारी में किस तरह बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के तौर पर, श्रीलंका ने कोविड-19 और अन्य बीमारियों के लिए मुफ्त और एकसमान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बेहतर नेटवर्क तैयार किया है। इस देश ने वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग की व्यापक रणनीति तैयार की जिससे कोरोना महामारी की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिली। यहाँ पर इलाज और रोकथाम के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाकर काम किया जा रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफी सुधार किया गया है।⁶ इसके अलावा, जरूरी सामानों के वितरण तंत्र पर निगरानी के लिए उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है।⁷ इसके तहत पूरे समाज को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा, लॉकडाउन और यात्रा संबंधी पार्वदियों को सख्ती से लागू करने एवं जांच और इलाज पर काफी जोर दिया गया है।

कोरिया गणराज्य राष्ट्रीय स्तर पर लागू अपनी स्वास्थ्य योजना की मदद से इस महामारी से निपटने में सफल रहा। यहाँ की तकरीबन 97 प्रतिशत आबादी के पास एकल-भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, जबकि बाकी 3 प्रतिशत लोगों का पूरा कवर सरकारी सब्सिडी पर आधारित है। साल 2015 में कोरिया में फैले मार्स वायरस की वजह से यहाँ की सरकार ने 2020 में कोरोना को लेकर तुरंत सक्रियता दिखाते हुए कई तरह के कदम उठाए। थाइलैंड में 75 प्रतिशत आबादी



कैबिनेट की मंजूरी

भारत कोविड-19 आपात
प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली
तैयारी पैकेज़: दूसरा चरण

केंद्रीय क्षेत्र (सीएम) के तहत सहयोग

- ① केंद्रीय अस्पतालों, एमस और अन्य संस्थानों को सहयोग
- ② केंद्रीय वार रूम
- ③ कोविड-19 पोर्टल संयंत्र आईटी सिस्टम
- ④ ई-स्वीचीनी टेली-फ़ासलेंशन प्लॉटफॉर्म
- ⑤ कोविड हेल्पलाइन नंबर-1075
- ⑥ कॉविड टेलीफोनी और कॉल सेंटर
- ⑦ एकौकृत नियन्त्रण और आदेश केंद्र (आईसीसीसी) से तुड़ा प्लेटफॉर्म स्थापित करना
- ⑧ कॉविड प्लॉटफॉर्म और राष्ट्रीय बीमारी नियन्त्रण केंद्र (एनपीडीओ) को भवित्व करना



को यूएचसी कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है। इससे वहाँ इलाज पर नकद खर्चों को कम करने में मदद मिली है। कोरोना और इससे जुड़े खर्चों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल किया गया और इस महामारी के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने में थाइलैंड काफी हद तक सफल रहा। साथ ही, जमीनी स्तर पर मौजूद कार्यकर्ताओं की मदद से तत्काल कार्रवाई की गई, ताकि संक्रमित मामलों की पहचान कर इस बीमारी को और फैलने से रोका जा सके। इन कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को बड़े पैमाने पर जागरूक भी किया गया। सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाकर जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। यूएचसी हासिल करने के लिए रणनीतिक तौर पर सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करने में वियतनाम का प्रदर्शन शानदार रहा। वियतनाम की 87 प्रतिशत आबादी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के दायरे में शामिल है। न सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाने बल्कि सेवाओं की डिलीवरी के मामले में भी यहाँ की स्थानीय आबादी की भूमिका अहम रही है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी जोर है और निजी, सरकारी और एनजीओ क्षेत्रों से वित्तीय संसाधन जुटाए जाते हैं। वियतनाम ने एहतायत के तौर पर महामारी से पहले ही इमरजेंसी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी थी।⁸ मामलों की निगरानी और अपने प्रदर्शन के मूल्यांकन के मामले में भी वियतनाम अग्रणी रहा है। वियतनाम ने सीमित संसाधनों के बावजूद सेना, निजी सुरक्षा सेवाओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ की मदद से अपना काम जारी रखा। इस तरह, उसने साबित किया कि सफलता दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामुदायिक स्तर पर सहयोग के जरिये मिलती है।⁹

यूएचसी में निवेश से बनेगी बात

कोरोना के प्रकोप से पहले, भारत यूएचसी की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कोरोना की वजह से यूएचसी संबंधी कोशिशों को झटका लगा है। इस वजह से सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता भी प्रभावित हुई है। हालांकि, उम्मीद अभी बाकी है। निवेश में

बढ़ोतरी और यूएचसी को लागू करने की प्रक्रिया फिर से तेज होने की संभावना है। इस अवसर पर अस्ताना घोषणा पत्र (2018) में यूएचसी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने को लेकर जताई गई राजनीतिक प्रतिबद्धता का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अब भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस घोषणा पत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई थी। साथ ही, यह भी कहा गया था कि प्राथमिक लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे बेहतर, असरदार और समावेशी माध्यम हैं। घोषणा पत्र के मुताबिक, स्वास्थ्य संबंधी मौजूदा आधारभूत संरचना पर बोझ कम करने के लिए रोकथाम संबंधी उपायों पर भी काम करने की जरूरत है।

भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टिकाऊ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राथमिक केंद्रों के स्तर पर 75,500 से भी बेलनेस सेंटर का संचालन हो रहा है। अप्रैल 2021 तक ऐसे सेंटर पर पहुंचने वालों की संख्या 44.24 करोड़ हो चुकी थी।¹⁰ केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के मद में 138 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो एक बेहद सकारात्मक कदम है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि प्राथमिक समेत सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं को बेहतर बनाया जा सके।¹¹

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्वास्थ्य क्षेत्र का योगदान 4.2 प्रतिशत है और इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से भी ज्यादा है। भारत को अपने यूएचसी अभियान को निजी क्षेत्र से भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य बीमा के दायरे को ज्यादा व्यापक बनाया जा सके। नए डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड बनाकर और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी के जरिये यूएचसी को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है।¹²

लिहाजा, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार करना बेहद जरूरी है। हालांकि, सिर्फ आवश्यक स्रोतों (जैसे कर राजस्व) से फंड इकट्ठा करना इसके लिए पर्याप्त नहीं होंगा। यूएचसी कार्यक्रम को बढ़ावा के लिए सरकारी फंडिंग अहम है, लेकिन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

कैबिनेट की मंजूरी

भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज़: दूसरा चरण

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि

- ▶ कोविड-19 की वजह से पैदा हुए खतरों का पता लगाकर उन्हें रोका जा सके
- ▶ केंद्रीय स्तर पर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना

moit.gov.in f @MoHFW_INDIA t @MoHFW_INDIA i @MoHFW_INDIA d @MoHFW_INDIA g @MoHFW_INDIA

योजना, अगस्त 2021

फंडों को इकट्ठा करने, प्रशासनिक लागत कम करने और जवाबेदी तय करने में निजी क्षेत्र की भूमिका भी कारगर हो सकती है। श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों का अनुभव बताता है कि निजी क्षेत्र के फंड को सामान्य कर राजस्व और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के मद में किए जाने वाले योगदानों से मिलाने पर बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। वित्तीय जवाबेदी को दुरुस्त करने के लिए किए गए उपायों को निगरानी और मूल्यांकन की बेहतर प्रणाली के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि बेहतर नतीजे मिल सकें।

एशिया-प्रशासन का अनुभव बताता है कि समाज में सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों और कार्यक्रम के खास फायदों, दोनों को ध्यान में रखते हुए काम करने पर बेहतर और ठोस नतीजे हासिल होते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी निर्धारकों-पोषण, पर्यावरण, लैंगिक समानता, पानी, स्वच्छता आदि की स्थिति में सुधार होगा। महामारी के बाद उभरी चुनौतियों से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ काम करने की जरूरत है और इसमें बेरोजगारी, प्रदूषण आदि मुद्दों का भी ध्यान रखना होगा। प्रवासियों व सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों समेत तमाम समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत करने की जरूरत है। यह अगले 3-4 साल के लिए राष्ट्रीय विकास के एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें प्रवासी आबादी के लिए सेवा प्रदाता प्रणाली स्थापित करना भी शामिल हो। लोगों के जीवन और आजीविका को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तीन सवालों-कवरेज, सेवा और फंड के निदान के लिए लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और आधारभूत संरचना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य के मुद्दे को जनआंदोलन में बदलने पर ही यूंचसी का लक्ष्य साकार हो सकेगा। ■

संदर्भ

- 3 लाख कोविड-19 डेंथस इन इंडिया: हाऊ फॉर इज द सेकेंड वेव पीक?

भारत और पीसीबी कल्याण प्रायोजन
मानव सशक्ति

कैबिनेट की मंजूरी

भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: दूसरा चरण

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत सहयोग:

- संख्या 736 जिला अस्पतालों में शिशु रोग से जुड़ी इकाइयां स्थापित करना
- आईसीआर-बैंड की क्षमता में बढ़ावारी करना
- आयोजित के बाकी सरकारी अस्पतालों में बैंड की संख्या बढ़ाना
- एम्बुलेंस के मीट्रो बैंड में जुड़ि
- अंडर-प्रैवेट और पॉस्ट-प्रैवेट मैडिकल इंटर्न, एम्बेक्योएस, बीएससी और औपचार्य नर्सिंग के आविष्कारी साल के डाय-चायओं को इस अधियाय में जोड़ना
- बैंडरी दक्षताओं का बफर स्टैक ट्रैनिंग करना
- विविध मैडिकल ऑफिसर्स ट्रैक और मैडिकल गेस पाइपलाइन सिस्टम इंस्टॉल करना
- इवा और जाव की उपलब्धता मुद्रितित बनाना



अतिरिक्त सहयोग

- आईटी संस्थाएं पाल जिम्मे दिलाने में टेलीफोन से मैडिकल सलाह और मुख्या सुनिश्चित करने की शामिल हो।
- राज्य और जिला सरकार द्वारा कठोर स्वास्थ्य करना और हेल्पलाइन नंबर जुहूल करना, याकि बैद, रुकुम, जाव की सिल्वर ट्रैकिंग केंद्र आदि को भारी जानकारी उपलब्ध कराएं जा सके।

- 88 प्रतिशत ऑफ ऑल कोविड डेंथस इन इंडिया इन एज ग्रुप ऑफ 45 ईयर्स एंड एब्व: गवर्नमेंट
- एडिशनल 230 मिलियन इंडियंस फेल बिलो पावर्टी लाइन ड्यूटी पैडेमिक: स्टडी
- ए न्यू एरा फॉर द डब्ल्यूएचओ हेल्थ सिस्टम बिलिंग ब्लॉक/हेल्थ सिस्टम ग्लोबल
- डब्ल्यूएचओ/यूनिवर्सल कवरेज- थ्री डाइमेंशंस
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? द फ्लूचर ऑफ "फ्री हेल्थ" इन श्रीलंका
- गवर्नमेंट टू होम डिलिवर एसेंशियल कोडोडिटीज
- वियतनाम एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया: वर्किंग ट्रूवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाइल फाइटिंग कोविड-19
- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेसेस प्रॉम वियतनाम
- इंडिया हैज ऑपरेशनलाइज्ड ओवर 75,500 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सो फॉर: गवर्नमेंट
- बजट लेज फाउंडेशन फॉर आत्मनिर्भर हेल्थकेयर सिस्टम
- रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ट्रूवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं- 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	অসম খাড়ী এবং গ্রামীণ উদ্যোগ বোর্ড, ভূতল, এমআরডী রোড, চাংদমারী	781003	0361.2668237

कैच द रेन - एक प्रगतिशील अभियान

करिश्मा शर्मा

कैच द रेन अभियान देश भर में वर्षा जल संचयन तकनीकों को नियोजित करके उपलब्ध भूजल के उपयोग को वर्षा जल से प्रतिस्थापित करने का प्रयास है। कैच द रेन, वेयर इट फाल्स, वैन इट फाल्स, टैगलाइन के साथ इस अभियान का उद्देश्य, 2021 के मानसून से पहले जलवायु परिस्थितियों और उप-मृदा स्तर के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं (आरडब्ल्यूएचएस) बनाने के बास्ते राज्यों और हितधारकों को प्रेरित करना है। इसमें चेक डैम, जल संचयन गढ़े और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं आदि बनाना शामिल है। इस अभियान के तहत कुओं की मरम्मत और निष्क्रिय बोर-वैल तथा अप्रयुक्त कुओं का उपयोग कर उन्हें फिर से जलभर बनाने का प्रयास करना है।


ब

हाँ वैश्विक आबादी, तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों, निरंतर जैव ऊर्जा की मांग और जलवायु परिवर्तन के साथ आसन्न जल संकट दुनिया की बास्तिकता है। पानी की कमी पहले से ही दुनिया के 2.3 बिलियन लोगों को प्रभावित कर रही है। भारत में वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता क्रमशः 1816 घन मीटर और 1545 घन मीटर आंकी गई थी, जो चालू वर्ष में और कम होकर 1486 घन मीटर हो सकती है। प्रति व्यक्ति 1700 घन मीटर से कम पानी की वार्षिक उपलब्धता को जल-अभाव की स्थिति माना जाता है। हमारे देश में महिलाएं और लड़कियां घरेलू कामों में काफी समय-औसतन 6 घंटे तक लगाती हैं, और इसमें उनका अधिकतर समय पानी लाने में लगता है। यह दक्षिण अफ्रीका और चीन में महिलाओं द्वारा इस कार्य में लगाए गए समय से 40 प्रतिशत अधिक है।

किसी भी देश में पानी की कमी के प्राथमिक कारणों में से, जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को वैश्विक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है, लेकिन शहरीकरण या ऊर्जा की मांग को रोकना शायद ही संभव है, क्योंकि ये विकास के उप-उत्पाद हैं। दुनिया के सामने इस अपरिवर्तनीय स्थिति और पानी को एक दुर्लभ संसाधन के रूप में मानने के लिए संयुक्त राष्ट्र की लगातार अपील के साथ, यह उचित समय है कि सरकारें भूजल उपयोग के विकल्पों को सक्रिय रूप से नियोजित करना शुरू करें। संयुक्त राष्ट्र के सारांश प्रगति अपडेट 2021: सतत विकास लक्ष्य 6 - सभी के लिए पानी और स्वच्छता के अनुसार, भारत में पानी के अभाव का स्तर 66 प्रतिशत तक है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत है,

लेकिन यहां मीठे पानी के संसाधन दुनिया के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री का नवीनतम अभियान 'कैच द रेन' देश भर में वर्षा जल संचयन तकनीकों को नियोजित करके उपलब्ध भूजल के उपयोग को वर्षा जल से प्रतिस्थापित करने का प्रयास है। कैच द रेन, वेयर इट फाल्स, वैन इट फाल्स, टैगलाइन के साथ इस अभियान का उद्देश्य, 2021 के मानसून से पहले जलवायु परिस्थितियों और उप-मृदा स्तर के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं (आरडब्ल्यूएचएस) बनाने के बास्ते राज्यों और हितधारकों को प्रेरित करना है। इसमें चेक




डैम, जल संचयन गढ़े और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं आदि बनाना शामिल है। इस अभियान के तहत कुओं की मरम्मत और निष्क्रिय बोर-वैल तथा अप्रयुक्त कुओं का उपयोग कर उन्हें फिर से जलभर बनाने का प्रयास करना है।

इन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में- कलेक्टरेट/नगर पालिकाओं या जीपी कार्यालयों में वर्षा केंद्र खोलें। इन वर्षा केंद्रों में एक समर्पित फोन नंबर होगा और इसे एक इंजीनियर या वर्षा जल संचयन संरचनाओं में प्रशिक्षित व्यक्ति संचालित करेंगे। यह केंद्र जिले में सभी के लिए तकनीकी मार्गदर्शक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, विश्व स्तर पर कुल जल निकासी का 72 प्रतिशत कृषि में, 16 प्रतिशत नगर पालिकाओं द्वारा घरों और सेवाओं के लिए और 12 प्रतिशत उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जल संकट की स्थिति में कृषि सबसे बुरी तरह प्रभावित होगी। इससे पता चलता है कि किसी भी देश में जल प्रबंधन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश कृषि गतिविधियां इन्हीं क्षेत्रों में होती हैं। 'कैच द रेन' अभियान का प्रयास है कि वर्षा जल संचयन के माध्यम से संधारणीय कृषि के प्रचार के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के वास्ते जल-अभाव वाले जिलों की ग्राम पंचायतों को कार्यरत किया जाए। अभियान के उद्घाटन के अवसर पर ग्राम पंचायतों ने जल संरक्षण के लिए जल शापथ ली। इस उद्देश्य के लिए, सरकार विशेष रूप से मानसून के आगमन तक अभियान के लिए मनरेगा निधि का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निधि का उपयोग अनिवार्य रूप से कृषि में लगे लाखों लोगों के रोजगार को बेहतर बनाने और बचाने के लिए किया जाता है।

इस अभियान के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करने वाली कई पिछली योजनाओं को भी सफल बनाया जाएगा और पिछली योजनाओं के जमीनी कार्य को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाएगा। केवल लगभग डेढ़ साल पहले, हमारे देश के 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.5 करोड़ को ही पाइप के जरिए पीने का पानी मिलता था। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद, लगभग 4 करोड़ परिवारों को कुछ ही महीनों में पीने के पानी के कनेक्शन मिले। बेहतर जल प्रशासन की दिशा में एक कदम के रूप में, ग्रामीण महिलाओं को जल परीक्षण के अभियान में भागीदार बनाया गया है। कोविड-19 की अवधि के दौरान ही, लगभग 4.5 लाख महिलाओं को जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया था और प्रत्येक गांव में कम से कम 5 महिलाओं को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

सत्ता के विभाजन के साथ भारत की यात्रा व्यापक और फायदेमंद रही है और सभी



नेताओं ने पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर हितधारकों को बनाकर हर दृष्टिकोण को समायोजित करने के साथ-साथ नीतियों की दक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। सरकार वर्षा जल संचयन अभियान का नेतृत्व कर रही है और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक प्रमुख होगी। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सभी हितधारकों को भी सरकार के साथ तालमेल बनाते हुए संसाधनों को लगाना और प्रयास करना होगा।

इसमें मूल रूप से तीन हितधारक हैं - सरकार, लोग और संस्थान- जिन्हें अभियान में अलग-अलग जवाबदेही लेनी चाहिए। सरकार ने अपनी प्रशासनिक कार्रवाई बहुत पहले शुरू की थी और वह इसे जारी रखे हुए है। जमीनी स्तर पर सत्ता लोगों के हाथों में निहित होती है जो बारिश जहां भी हो और जब भी हो उसका संचयन करेंगे।

संस्थागत स्तर पर, आईआईएम, आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, रेलवे के अध्यक्ष, हवाई अड्डा प्राधिकरण, सर्वजनिक उपक्रम और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिनके पास

भूमि का एक बड़ा भाग है, उन्हें बारिश के पानी के संचयन के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। इनमें से कई संस्थानों के प्रमुखों ने सरकार को अपने-अपने संस्थान में पहले से मौजूद जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में सूचित किया। उदाहरण के लिए, भारतीय सेना, वृक्ष-संरक्षण के लिए एसटीपी से उपचारित सीवेज पानी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकांश स्टेशनों ने "लशिंग सिस्टम के लिए इस उपचारित पानी का उपयोग करने के लिए पहले से ही डबल पाइपिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सक्रिय सोशल मीडिया



जल शक्ति मंत्रालय
जल सम्पद, नदी विकास और
गंगा कार्यकाल्पनिकाम, भारत सरकार



खुशहाल और हरित कल के लिए वर्षा जल महत्वपूर्ण है

कैच द रेन
वेयर इट फाल्स,
वैन इट फाल्स

#CatchTheRain

<http://www.gov.in/catchtherain> | CatchTheRain.nums@gmail.com | <https://www.facebook.com/catchtherain> | <https://twitter.com/catchtherain>

के माध्यम से सरकार के जल प्रबंधन कार्यक्रमों की जमीनी स्तर तक पहुंच को लगातार सुनिश्चित किया है।

आईआईएम अहमदाबाद में पहले से ही एक समर्पित वर्षा जल संचयन प्रणाली है जो भूजल पुनर्भरण प्रणाली के रूप में कार्य करती है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अपशिष्ट जल उपचार सुविधा और वर्षा जल संचयन संरचना भी है। जैसा कि देश के शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की जाती है, ऐसे कई प्रमुख संस्थानों में पहले से ही आवश्यक बुनियादी ढांचा है और वे मौजूदा अभियान के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के इच्छुक हैं। इसके अलावा, आईआईटी रुड़की ने शैक्षणिक सत्र 2021 से बांध सुरक्षा और पुनर्वास में एम.टेक और आईआईएससी बैंगलोर ने बांध इंजीनियरिंग में कार्यक्रम शुरू किया है। आईआईटी मद्रास भी जल्द ही इस कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

इस अभियान से कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक लाभ हुआ है। यह न केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का एक स्थायी प्रवाह प्रदान करने और मिट्टी की खोई हुई नमी को लौटाने में मदद करता है, बल्कि यह अधिशेष जल और मानसून की अच्छी वर्षा वाले राज्यों का पानी, कमी वाले और मानसून की कम वर्षा वाले राज्यों के साथ साझा करने का रास्ता भी खोलता है, जिससे कृषि उत्पादन और किसान की आय के संदर्भ में अंतर-राज्यीय असमानताएं कम होंगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर उसी दिन हस्ताक्षर किए गए जिस दिन इस अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान वर्षा जल संचयन के उप-उत्पाद के रूप में जल बंटवारे के महत्व को भी दर्शाता है और भूजल को कम होने से रोकता है।

हाल के एक उदाहरण में, तमिलनाडु के उत्तर-पश्चिमी भाग में, कोयंबटूर जिले ने विकास गतिविधियों में अपने भूजल संसाधनों का इतना अधिक दोहन किया कि 228 में से 213 ग्राम पंचायतों में स्थित गंभीर हो गई। शेष 15 ग्राम पंचायतों में भी भूजल स्तर अर्ध-गंभीर स्तर पर पहुंच गया। जिले में औसत वर्षा 690 मि.मी. से घटकर 616 मि.मी. रह गई, जिससे क्षेत्र में जल संसाधन अत्यधिक दबाव में आ गए।

पानी की कमी के कारण, घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों के लिए इसकी उपलब्धता कम होकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। इस स्थिति में जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों ने क्षेत्र को इस संकट से उबारने के लिए मिट्टी के बंधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन शुरू करने का निर्णय लिया। इस परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, कोयंबटूर जिले में भूजल स्तर काफी बढ़ गया है, इसका स्तर क्रमशः 2017, 2018, और 2019 के दौरान क्रमशः 29.76 मीटर, 22.31 मीटर और 17.62 मीटर की गहराई पर दर्ज किया गया है। हर साल लगभग 6,764 करोड़ लीटर (2.4 टीएमसी) पानी का संचयन किया जाता है, जिससे जलभरों के पुनर्भरण में मदद मिली है।

भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी का समावेश बहुत आवश्यक है, यह एक ऐसी मूल आवश्यकता है जिससे कृषि में वैज्ञानिक प्रक्रिति की गति निर्धारित होगी। यह अभियान ग्रामीण आजीविका में योगदान देने के अलावा, निकट भविष्य में अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने के जल जीवन मिशन के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा।

इस अभियान से शहरी बस्तियों में सड़कों पर जलभराव होने और उन्हें इससे होने वाले नुकसान से भी बचाने में भी मदद मिलेगी। इससे शहरी बाढ़ को भी रोका जा सकेगा।

भारत सतही जल संसाधन होने के बावजूद, दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए भूजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। भारत में प्रति व्यक्ति जल भंडारण क्षमता लगभग 209 एम३ है जो ऑस्ट्रेलिया (3223एम३), अमरीका (2193 एम३), और

ब्राजील (2632 एम३) जैसे देशों में प्रति व्यक्ति भंडारण क्षमता की तुलना में बहुत कम है। इस अभियान का एक फायदा यह होगा कि खराब हो चुके बोरवेल और बांधविंगों को फिर से डिजाइन किए जाने के बाद पूरे साल भंडारण क्षमता में वृद्धि हो सकेगी।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभियान भारत को हर संभव तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित हो सकता है। महंगी आयातित प्रौद्योगिकी या ज्ञान भागीदारी के उपयोग के बिना, भारत सबसे कीमती जैव संसाधन में संधारणीयता हासिल करने के लिए खड़ा है। जल संकट अंततः दुनिया की वास्तविकता होगी और इससे वही लोग सुरक्षित होंगे जो तेजी से प्रयास करेंगे और तत्काल कदम उठाएंगे। ■

इस अभियान से कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक लाभ हुआ है। यह न केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का एक स्थायी प्रवाह प्रदान करने और मिट्टी की खोई हुई नमी को लौटाने में मदद करता है, बल्कि यह अधिशेष जल और मानसून की अच्छी वर्षा वाले राज्यों का पानी, कमी वाले और मानसून की कम वर्षा वाले राज्यों के साथ साझा करने का रास्ता भी खोलता है, जिससे कृषि उत्पादन और किसान की आय के संदर्भ में अंतर-राज्यीय असमानताएं कम होंगी।

असमानताएं कम होंगी।

जल शक्ति अभियान Catch The Rain

Where it falls, When it falls



‘जल’ मानव-जीवन का अभिन्न अंग रहा है। पृथ्वी पर मीठे पानी की उपलब्धता कम हो रही है। इस स्थिति में जरूरत है इसका संचय और संरक्षण करने की।

प्यारे बच्चो, पानी कैसे बचाएं? आप ‘पानी बचाओ’ अभियान में कैसे मदद कर सकते हैं? अपने विचार कहानी, कविता, लेख या चित्र के माध्यम से ‘बाल भारती’ को भेजें। पुरस्कृत तथा सराहनीय कृतियों को पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा और मानदेय दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं।

अंतिम तिथि - 15 अगस्त 2021

अपनी रचनाएं संपादक बाल भारती को
इस पते पर भेजें



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

टिकटर पर फॉलो करें @DPD_India

मानव विकास की शक्ति

देविका चावला

किसी राष्ट्र का मानव संसाधन उन प्रमुख स्तंभों में से एक है जिन पर उसकी भविष्य की क्षमता और यात्रा निर्भर करती है। मानव संसाधन का सर्वोत्तम इस्तेमाल उच्च जीवन स्तर, जिंदगी की गुणवत्ता में वृद्धि, संसाधनों का न्यायोचित और समावेशी वितरण तथा समाज के अंदर शत्रुता की आशंका में कमी जैसे बेहतर सामाजिक परिणाम लाता है।

आ

थिक रूप से कुशल मानव पूँजी अर्थव्यवस्था के अंदर संपन्नता, नवाचार और मूल्य संवर्द्धन में इजाफा करती है। लिहाजा, मानव विकास में निवेश सामाजिक और आर्थिक, दोनों तौर पर फायदेमंद है। भारतीय लोक प्रशासन के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के पीछे भी यही सिद्धांत है। सरकार एक ऐसे प्रभावशाली और कुशल शासन के लिये काम कर रही है जो नागरिकों के जीवन को ज्यादा आसान बनाये। प्रधानमंत्री ने लालफीताशाही और अफसरशाही की अकुशलताओं को घटाने के सिलसिले में सरकार के 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के अपने मंत्र को कई बार दोहराया है। इसके पीछे उनका मकसद जहां कहीं भी गैर-जरूरी हो, वहां सरकार की भूमिका और मौजूदगी को घटाना है।

मौजूदा सरकार ने सात साल पहले सत्ता संभालने के समय से ही भारत के लोक प्रशासन तंत्र में सुधार और परिवर्तन को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है। वह इस तंत्र को एक उभरती वैश्विक आर्थिक शक्ति की जरूरतों और उम्मीदों के अनुरूप बनाने के लिये काम कर रही है। इस संबंध में उसने जरूरी अनुमतियों की संख्या घटाने और सरकारी नौकरियों के लिये परीक्षा कराने के मकसद से एक राष्ट्रीय

नियोजन एजेंसी का गठन जैसे फैसले किये हैं।

प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में संसद में हाल ही में कहा था कि सरकार के व्यवसाय में होने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने गैर-जरूरी आधिकारिक प्रक्रियाओं को घटाने पर जोर दिया है। ये बयान सिर्फ प्रधानमंत्री के उद्गार भर नहीं हैं। सरकार के नजरिये को नजदीक से देखें तो पता चलेगा कि उनका शासन इस काम को कितना महत्व देता है।


व्यवसाय में सरकार की मौजूदगी की एक बड़ी निशानी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम है जिन्हें सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) के नाम से जाना जाता है। ये उपक्रम बैंकिंग से लेकर दूरसंचार, बीमा और कोयला क्षेत्रों तक मौजूद हैं। प्रधानमंत्री समेत शासन तंत्र की उच्च हस्तियां पिछले कई वर्षों से इन उपक्रमों में सरकार की बहुसंख्यक हिस्सेदारी के विनिवेश की बात करती रही हैं। इसके पीछे उद्देश्य इन विशाल प्रतिष्ठानों में उत्पादकता के विकास और बेहतर व्यावसायिक कामकाज के लिये इनका कॉरपोरेटीकरण करना है। विनिवेश के बारे में शासन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और इसे हासिल करने में अब तक के प्रभावशाली परिणाम सरकार और नागरिकों,

दोनों के लिये फायदेमंद हैं। इनसे प्रशासनिक कामकाज, धन की बर्बादी और संसाधनों के अकुशल उपयोग से होने वाले सरकारी खर्च में कमी आती है। इसके अलावा करदाताओं के धन के बेहतर और ज्यादा पारदर्शी इस्तेमाल और अधिक प्रतिस्पर्धा से जनता को भी लाभ पहुंचता है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसे उम्मीद है कि कोविड 19 की वैश्विक महामारी के बावजूद वह विनिवेश के ज्यादातर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगी।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)

भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी

- वर्तमान में सरकारी नौकरी चाहने वाले विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अनेक रीक्षाएं देते हैं
- उम्मीदवारों को साल में कई बार फीस देने के अलावा भर्ती केन्द्रों तक लंबा सफर तय करना पड़ता है
- एनआरए अनेक सरकारी नौकरियों के लिए टीयर-1 की संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित कर इस परेशानी को दूर करेगी
- एनआरए उम्मीदवारों के अलावा संबंधित भर्ती एजेंसियों पर बोझ भी घटायेगी



राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)

पारदर्शिता के जरिये उत्तम शासन



चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी



समान योग्यता शर्तों वाली विभिन्न एजेंसियों की अनेक परीक्षाओं में बैठने से उम्मीदवारों को होने वाली परेशानी का समाधान



1000 से ज्यादा केन्द्रों पर करायी जायेगी संयुक्त योग्यता परीक्षा (सीईटी), 117 आकांक्षापूर्ण जिलों समेत हर जिले में होगा कम-से-कम एक परीक्षा केन्द्र



ग्रामीण, वर्चित उम्मीदवारों और महिलाओं के लिए बहेतर पहुंच

सरकार ने पिछले साल सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने का फैसला किया। इस निर्णय के पीछे का मकसद भी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अकुशलता और अफसरशाही अनिर्णय को दूर करने तथा जबाबदेही के एक पारदर्शी तंत्र को बढ़ावा देने का ही था।

पिछले कुछ वर्षों से सरकारी सेवा में सरकार के तंत्र से बाहर के विशेषज्ञों के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के इस उत्साहवर्द्धक कदम ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षाओं में सुधार और परिवर्तन के जरिये उन्हें अभूतपूर्व रफ़तार से विकास कर रहे। इक्कीसवीं सदी के राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने को लेकर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है। सिविल सेवा का देश में काफी सम्मान है। लेकिन इसकी चयन प्रक्रिया और सेवा नियमों के हमारे गतिशील और विकासमान राष्ट्र के अनुरूप नहीं होने को लेकर वाजिब चिंताएं भी हैं। कुछ हद तक इन चिंताओं के कारण भी श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 से ही वैसे विशेषज्ञों को सरकारी तंत्र में प्रवेश देने का प्रयोग कर रही है जो यूपीएससी की परीक्षाओं से चुन कर नहीं आये हैं। अपने क्षेत्रों के ऐसे विशेषज्ञों को 2018 से मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक समेत विभिन्न पदों पर निर्धारित अवधि के अनुबंध के जरिये नियुक्त किया जा रहा है।

अब तक सरकारी सेवा में बिचले और निचले स्तर की नियुक्तियों के लिये एजेंसियों और परीक्षाओं की भरमार रही है। सरकार ने इस मकड़िजाल को खत्म करने के लिये एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन किया है। यह देश में लोक प्रशासन को सुचारू बनाने के सरकारी प्रयासों की एक और मिसाल है।

वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए सरकार शासन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। उसके इस कदम की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई है। डिजिटल इंडिया इस दिशा में एक प्रमुख आच्छादन कार्यक्रम है। डिजिटल भुगतान से लेकर जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) तिकड़ी और लाभ के सीधे

हस्तांतरण (डीबीटी) तक डिजिटल सेवाओं में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई है। डाटा की न्यूनतम कीमतों और अधिकतम खपत के साथ डिजिटल अवसरंचना के लिहाज से भारत ने जबर्दस्त छलांग लगायी है। देशवासियों के लिये स्वयं पोर्टल (ऑनलाइन शिक्षा), ई-आधार सेवाएं, ऑनलाइन पैन, मतदाता पहचान पत्र और आयकर रिटर्न सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग तथा माइंगॉव, डिजिलॉकर, उद्यमी और ई-वीजा सेवा जैसे पोर्टल समेत अनेकों डिजिटल संसाधन मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने आम जन के लिये ई-शासन को कितना महत्व दिया है इसका सबूत डिजिटल क्षेत्र में सरकार के विशाल नेटवर्क की मौजूदगी है। वह जनसाधारण के बास्ते सरकारी प्रक्रियाओं को यथासंभव सरल बनाने के लिये प्रयासरत हैं।

इस आलेख में देश में शासन प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिये भारत सरकार के व्यापक सुधारों का वर्णन किया गया है। बीमार और आशा से कम सफल पीएसयू के तेज विनिवेश, सरकारी नौकरियों के लिये एनआरए के गठन, सरकारी सेवा में विशेषज्ञों के प्रवेश को प्रोत्साहन, शासन में सुधार के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने तथा कुशल सरकारी सेवाओं को गांवों में लाभार्थियों के दरवाजों तक पहुंचाने जैसे कदम भारतीय नागरिकों की जिंदगी आसान बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। इन कदमों से अफसरशाही की बाधाएं, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और नीतियों की अनिश्चितता दूर होगी जिनका इंतजार विदेशी और स्वदेशी निवेशक लंबे समय से कर रहे हैं। इससे भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास निचले स्तर पर समाज के सबसे ज्यादा कमज़ोर तबकों तक पहुंचेगा। इस तरह एक उदीयमान वैश्विक शक्ति का भविष्य सही मायनों में आकार लेगा। ■

संदर्भ

- <https://www.hindustantimes.com/analysis/transforming-public-administration/story-PZEGbLXbUIAR9Q3fQ0XmvJ.html>
- <https://www.financialexpress.com/economy/govt-may-attain-up-to-90-of-fy22-disinvestment-target-on-strong-liquidity/2240951/>
- <https://theprint.in/india/governance/modi-govt-gives-lateral-entry-a-fresh-push-wants-to-recruit-30-senior-officers/599797/>

क्या आप जानते हैं?

इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम

प्रश्न- इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी-इंसाकॉग) यानी भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम क्या है?

उत्तर- भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकॉग) 30 दिसंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं (आरजीएसएल) का एक राष्ट्रीय बहु-एजेंसी कंसोर्टियम है। शुरुआत में इस कंसोर्टियम में 10 प्रयोगशालाएं शामिल थीं। बाद में इंसाकॉग के तहत प्रयोगशालाओं के दायरे का विस्तार किया गया और वर्तमान में इस कंसोर्टियम के तहत 28 प्रयोगशालाएं हैं, जो सार्स-कोव-2 में हुई जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करती हैं।

प्रश्न- इंसाकॉग का उद्देश्य क्या है?

उत्तर- सार्स-कोव-2 वायरस को आमतौर पर कोविड-19 वायरस के रूप में जाना जाता है। इस वायरस ने विश्व स्तर पर अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा की हैं। इस वायरस के प्रसार और विकास तथा इसके म्यूटेशनों एवं परिणामी रूपों (वेरिएंट्स) को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके म्यूटेशनों और परिणामी वेरिएंट की गहराई से सीक्वेंसिंग करने तथा जीनोमिक डेटा के गहन विश्लेषण करने की जरूरत अनुभव की गई। इस पृष्ठभूमि में इंसाकॉग की स्थापना की गई ताकि पूरे देश में सार्स-कोव-2 वायरस की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग का विस्तार किया जा सके और इस वायरस का प्रसार और विकास कैसे होता है, यह समझने में हमें मदद मिले। इस वायरस के आनुवर्शिक कोड या म्यूटेशन में आए किसी भी परिवर्तन को इंसाकॉग के तहत इन प्रयोगशालाओं में नमूनों के किए गए विश्लेषण और सीक्वेंसिंग के आधार पर देखा जा सकता है।

इंसाकॉग के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं-

- देश में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (बीओआई) और वेरिएंट ऑफ कंसर्न (बीओसी) की स्थिति का पता लगाना।
- जीनोमिक वेरिएंट का जल्दी पता लगाने के लिए प्रहरी निगरानी और बढ़ोतारी निगरानी तंत्र स्थापित करना और प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया तैयार करने में सहायता करना।
- बहुत तेजी से संक्रमण की घटनाओं के दौरान लिए गए नमूनों और बढ़ते मामलों और मृत्यु के रुझान की रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों में जीनोमिक वेरिएंट की उपस्थिति का निर्धारण करना।

प्रश्न- भारत में सार्स-कोव-2 वायरल सीक्वेंसिंग कब शुरू की गई?

उत्तर- भारत ने वर्ष 2020 में सार्स कोव-2 वायरल जीनोम की सीक्वेंसिंग शुरू की। शुरुआत में, एनआईबी और आईसीएमआर ने इंग्लैंड, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाले या इन देशों से होकर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के नमूनों की सीक्वेंसिंग की,

क्योंकि इन देशों ने मामलों में अचानक बढ़ोतारी होने की जानकारी दी थी। अपने राज्यों में अचानक मामले बढ़ने की रिपोर्ट करने वाले राज्यों से प्राप्त आरटीपीसीआर पॉर्जीटिव नमूनों की सीक्वेंसिंग को प्राथमिकता दी गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के साथ-साथ व्यक्तिगत संस्थानों के प्रयासों के माध्यम से सीक्वेंसिंग का और विस्तार किया गया।

भारत ने प्रारंभ में वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न (बीओसी)-अल्फा (बी.1.1.7), बीटा (बी.1.351) और गामा (पी.1) के प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ये वेरिएंट अधिक तेजी से फैलने वाले थे। इन वेरिएंट के प्रवेश की इंसाकॉग ने बड़ी सावधानीपूर्वक ट्रैकिंग की। इसके बाद इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में किए गए संपूर्ण सीक्वेंसिंग विश्लेषण के आधार पर डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान की गई।

प्रश्न- भारत में सार्स कोव-2 निगरानी के लिए क्या रणनीति है?

उत्तर- शुरू में जीनोमिक निगरानी कुल आरटीपीसीआर संक्रमित नमूनों के 3-5 प्रतिशत की सीक्वेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और उनके समुदाय में संपर्कों द्वारा लाए गए वेरिएंटों पर केंद्रित थी।

इसके बाद, अप्रैल 2021 में प्रहरी निगरानी भी की गई। इस रणनीति के तहत किसी क्षेत्र के भौगोलिक प्रसार का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए अनेक प्रहरी स्थलों की पहचान की जाती है और आरटीपीसीआर संक्रमित नमूनों को पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रत्येक प्रहरी स्थल से भेजा जाता है। पहचान किए गए प्रहरी स्थलों से नामित रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोट्रीज (आरजीएसएल) को नमूने भेजने के लिए विस्तृत एसओपी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई। टैग किए गए इंसाकॉग आरजीएसएल की सूची भी राज्यों को भेजी गई थी। पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की गतिविधि में तालमेल के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक समर्पित नोडल अधिकारी भी नामित किया गया था।

प्रहरी निगरानी (सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए): यह पूरे देश में चल रही निगरानी गतिविधि है। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने प्रहरी स्थलों (आरटीपीसीआर प्रयोगशालाओं और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित) की पहचान की है, जहां से आरटीपीसीआर संक्रमित नमूनों को पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है।

बढ़ती हुई निगरानी (कोविड-19 मामलों में क्लस्टरों वाले जिलों या बढ़ोतारी की रिपोर्ट देने वाले जिलों के लिए) नमूनों की प्रतिनिधि संख्या (राज्य निगरानी अधिकारी/केंद्रीय निगरानी इकाई द्वारा अंतिम रूप दी गई नमूना रणनीति के अनुसार) उन जिलों से

एकत्र की जाती है जो बड़ी संख्या में मामलों को दर्शाते हैं और जिन्हें आरजीएसएल भेजा जाता है।

प्रश्न- इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में नमूने भेजने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एमओपी) क्या है?

उत्तर- इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में नमूने भेजने और उसके बाद जीनोम सीकर्वेसिंग विश्लेषण पर आधारित कार्बाई की मानक संचालन प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) मशीनरी जिलों/प्रहरी स्थलों से नमूने एकत्रित करके रीजनल जीनोम सीकर्वेसिंग प्रयोगशालाओं में भेजने में समन्वय करती है। आरजीएसएलजीनोम सीकर्वेसिंग और वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इन्टरेस्ट तथा अन्य म्यूटेशनों की पहचान के लिए जिम्मेदार है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इन्टरेस्ट के बारे में जानकारी केंद्रीय निगरानी इकाई आईडीएसपी को दी जाती है ताकि राज्य निगरानी अधिकारियों के साथ समन्वय में क्लीनिकों-महामारी विज्ञान सहसंबंध स्थापित किया जा सके।
2. इंसाकॉग को सहायता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक और नैदानिक सलाहकार समूह (एससीएजी) में चर्चा के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि एक जीनोमिक म्यूटेशन की पहचान की जाए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासारिकता का हो और जिसे एससीएजी को प्रस्तुत किया जाएगा। एससीएजी संभावित वेरिएंट ऑफ इन्टरेस्ट और अन्य म्यूटेशनों के बारे में चर्चा करता है और यदि उचित समझता है तो आगे की जांच के लिए केंद्रीय निगरानी इकाई को सिफारिश करता है।
3. आईडीएसपी स्थापित जीनोम सीकर्वेसिंग विश्लेषण स्थापित

जीनोम सीकर्वेसिंग विश्लेषण और क्लीनिकों महामारी विज्ञान से संबंधित आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाता है।

4. नए म्यूटेशन/वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इन्टरेस्ट का कल्चर और जीनोमिक अध्ययन किया जाता है ताकि वैक्सीन की प्रभावकारिता और प्रतिरक्षा से बचने के गुणों के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

प्रश्न- वेरिएंट ऑफ कंसर्न (बीओसी) की पौजूदा स्थिति क्या है?


उत्तर- वेरिएंट ऑफ कंसर्न भारत में 35 राज्यों के 174 जिलों में पाया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, परिचम बंगाल और गुजरात के जिलों से सबसे अधिक बीओसी की सूचना प्राप्त हुई है। देश में सामुदायिक नमूनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के वेरिएंट ऑफ कंसर्न इस प्रकार हैं: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा।

बी.1.617 लाइनेज को पहली बार महाराष्ट्र में देखा गया जो राज्य के अनेक जिलों में असामान्य वृद्धि से जुड़ा था। यह अब भारत के कई राज्यों में पाया गया है।


प्रश्न- डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है?

उत्तर- बी.1.617.2.1 (एवाई-1) या जिसे आमतौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में जाना जाता है, यह अतिरिक्त म्यूटेशन के साथ डेल्टा वेरिएंट को दर्शाता है।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय



#LargestVaccineDrive



कोरोना को हम तभी हरा पाएंगे,
जब सभी टीका लगवाएंगे



COVID-19 टीके के लिए cowin.gov.in पर जाएं और पंजीकरण करें

लोक प्रशासन : भर्ती और प्रशिक्षण के मूल प्रश्न

प्रेमपाल शर्मा

लोक प्रशासन में हम सब को यह समझने की ज़रूरत है कि हम जनता के सेवक हैं उनके हाकिम नहीं अंग्रेजी काल की औपनिवेशक मानसिकता को ऐसे ही कदमों से बदला जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उससे मौजूदा केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और लोक प्रशासन को लोक हित में बदलने का सबूत भी मिलता है।

जा

ने-माने वैज्ञानिक डॉ कृष्णस्वामी कस्तूरीरामन ने नई शिक्षा नीति 2020 पर जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, उसका शुरूआती हिस्सा पूरी भारतीय नौकरशाही या अफसरशाही यानी लोक प्रशासन तंत्र के लिए एक आईना है। उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि सर्वोच्च नौकरशाही जनता से बहुत कटी रहती है। वे भाषा, व्यवहार रहन-सहन, चाल-ढाल में जनता से दूरी बनाए रहते हैं और इसका मुख्य कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में है। इस आलेख में इसी की रोशनी में लोक प्रशासन की उपलब्धियों और उसकी कुछ कमियों की जांच पड़ताल की गई है। 1947 में आजादी के बक्त यह बहस चली थी कि क्या अंग्रेजों द्वारा स्थापित इंडियन सिविल सर्विस को खत्म करके कोई नई व्यवस्था लाई जाए? देशभर में अंग्रेजी हुक्मत के प्रति आक्रोश भरा हुआ था लेकिन सरदार बल्लभ भाई पटेल का विचार था, “इसमें गलती इन प्रशासनिक नौकरशाहों की नहीं है। यह तो वही काम करते हैं जो सत्ता इनको कहती है। इतने बड़े देश को एक सूत्र में एक समान व्यवस्था में शासित करने के लिए ऐसी ही अखिल भारतीय सेवा की ज़रूरत है।”

लोक प्रशासन तंत्र की सर्वोच्च अफसरशाही या नौकरशाही की इस सेवा का नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया। केंद्र और राज्य सरकारें भले ही बदलती रहें, भारत के संघीय ढांचे को एक सूत्र में पिरोने वाली यही नौकरशाही है। इतने विशाल देश में राष्ट्रीय एहसास इसी लोक प्रशासन तंत्र के बूते हैं। इन अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा समेत भारत सरकार के लगभग 25 विभाग एवं संस्थाओं की सेवाएं शामिल हैं। शुरूआत में रेलवे, आयकर, रक्षा लेखा सेवाएं थीं तो बाद में भारतीय सूचना सेवा, भारतीय ट्रेड सर्विस, रेलवे प्रोटक्शन फोर्स आदि सेवाएं धीरे-धीरे ज़रूरतों के हिसाब से जुड़ती गईं। इसी के समानांतर पूरे देश के लिए भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, चिकित्सा सेवा आर्थिक सेवा आदि भी बनाई गई लगभग समान नियम सुविधाओं के ढांचे के रूप में। यह भी सच है कि देश की इन सर्वोच्च सेवाओं में शामिल होने के लिए लाखों

मेधावी नौजवान लालायित रहते हैं और नई दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग शाहजहां रोड को एक तीर्थ की तरह देखते हैं।

कठिन से कठिन दौर में भी भारत के लोक प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह चाहे बाढ़, सूखा या समुद्री तूफान से सामना करना हो अथवा जमीन जायदाद या कानून व्यवस्था के प्रश्न। इसीलिए हर राज्य सरकार केंद्र से ज्यादा से ज्यादा इन नौजवानों की तैनाती की मांग करती हैं। संघ लोक सेवा आयोग देश का ऐसा संस्थान है जिसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर कभी उंगली नहीं उठी। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि बदलते बक्त के साथ भर्ती आदि की प्रक्रिया में बदलाव भी होते रहे हैं।

इसमें सबसे बड़ा बदलाव वर्ष 1979 में आया जब कोठारी समिति की सिफारिशों को मानते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा का नाम बदलकर सिविल सेवा परीक्षा किया गया और सभी भारतीय भाषाओं में उत्तर देने की छूट दी गई। यह बहुत क्रांतिकारी कदम था क्योंकि आजादी के बाद से लगातार अंग्रेजी माध्यम की वजह से केवल वे लोग ही इस सेवा में आते थे जो अंग्रेजी माध्यम में देश या विदेश





में पढ़े होते थे। भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले गरीब आदिवासी के लिए कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर कोठारी, जो जाने-माने वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे, उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था कि “जिन अधिकारियों को भारतीय भाषाएं नहीं आती उन्हें देश की इन सर्वोच्च सेवाओं में आने का कोई हक नहीं है। जब तक वे किसी भारतीय भाषा को नहीं जानते हों, कैसे जनता के दुख-दर्द को समझेंगे और न केवल भाषा उन्हें अपनी भाषाओं का साहित्य भी जानना चाहिए।” इस कदम ने भारतीय नौकरशाही का रूप सचमुच में जनवादी बना दिया। 1970 में जहां इस परीक्षा के देने वाले सिर्फ 11000 थे, वर्ष 1979 में उनकी संख्या 10 गुना बढ़ गई। वर्ष 1988 में बनाई गई सतीश चंद्र कमेटी ने 10 वर्ष की भर्ती के आकलन में भारतीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित किए जाने की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पहली पीढ़ी के गरीब दलित आदिवासी भारत की सर्वोच्च सेवाओं में पहुंचे हैं। लगभग 15 से 20 प्रतिशत हिंदी, तमिल, मराठी, मलयालम सहित सर्विधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के माध्यम से इन सेवाओं में लोग चुने गए, उनकी कार्यक्षमता भी उतनी ही संवेदनशील और सक्षम साबित हुई। लेकिन वर्ष 2011 में कुछ अंग्रेजी के पक्षधरों ने ऐसे बदलाव किए कि भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थी कम से कम होते गए और फिलहाल यह 5 प्रतिशत से भी कम है। इसे तुरंत भारतीय भाषाओं के पक्ष में बदलने की जरूरत है।

इसीलिए भर्ती प्रक्रिया का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो आजादी के इन वर्षों के बाद इन सेवाओं का ऐसा भारतीयकरण होना चाहिए था जिससे भारतीय भाषाओं के ज्यादा से ज्यादा पढ़े हुए नौजवान इन सेवाओं में शामिल हो पाते। अंग्रेजी जानने वाले 5 प्रतिशत से कम होने के बावजूद भी वह 95 प्रतिशत भर्ती क्यों होती है? क्या देश को औपनिवेशक मानसिकता से मुक्ति नहीं चाहिए? क्या भारतीय भाषाएं इतनी कमज़ोर हैं? और यह कि क्या भारतीय भाषाओं में पढ़े हुए नौजवान कमतर साबित हुए हैं? यदि नहीं तो

फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अंग्रेजी लगातार इस हद तक हावी होती जा रही है कि डॉ कस्तूरीरंगन जैसे वैज्ञानिक और शिक्षाविद को ऐसी तीखी टिप्पणी करनी पड़ी है। निश्चित रूप से नौकरशाही हमारी शिक्षा व्यवस्था में जुड़ी हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया को भी ऐसा बनाने की जरूरत है जिससे नौकरशाही और ज्यादा जमीनी अनुभव प्राप्त करें और संवेदनशील बने। आश्चर्य की बात है कि कोठारी समिति सभी सिविल सेवाओं में भारतीय भाषाओं की बात की थी लेकिन दुर्भाग्य से केवल प्रशासनिक सेवा में अभी भारतीय भाषाओं में परीक्षा शुरू की गई है। बन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, मेडिकल सेवा जैसी सेवाओं में भी सरकार को इस पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत है।

वैसे तो समय-समय पर कई सुधार हुए हैं जैसे निबंध का पेपर शामिल करना, ‘रसी, चीनी जैसे विषयों को बाहर करना’, लेकिन कुछ कमियां लगातार बनी हुई हैं। अधिकतम उम्र सीमा वर्ष 1978 तक 24 और 26 वर्ष थी जिसे कोठारी समिति ने बढ़ाकर सभी सेवाओं के लिए 28 वर्ष कर दिया था। उम्र बढ़ाने के पीछे यह भी कारण था कि सुदूर के गांव आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा देर से शुरू हो पाती है लेकिन 40 वर्ष बाद 2021 में देश की साक्षरता और शिक्षा की पहुंच बहुत बेहतर हुई है। जबकि उम्र की सीमा राजनीतिक कारणों से पहले मंडल कमीशन के बाद बढ़ाकर 30 वर्ष की गई और उसके बाद 32 वर्ष। कमज़ोर वर्गों के लिए यह 37 वर्ष है। जिस दौर में कॉरपोरेट वर्ल्ड 20 वर्ष तक की आयु के लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से सीधे भर्ती कर रहा है, ऐसे समय सरकार को भी इस चुनौती को देखते हुए आयु सीमा पर विचार करने की जरूरत है। प्रोफेसर अलग कमेटी और कई प्रशासनिक सुधार

आयोगों ने भी ऐसी सिफारिश की है। प्रोफेसर अलग कमेटी ने कानून और लोक प्रशासन जैसे विषयों की अनिवार्यता की भी बात की थी। यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

निश्चित रूप से नौकरशाही हमारी शिक्षा व्यवस्था में जुड़ी हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया को भी ऐसा बनाने की जरूरत है जिससे नौकरशाही और ज्यादा जमीनी अनुभव प्राप्त करें और संवेदनशील बने। आश्चर्य की बात है कि कोठारी समिति सभी सिविल सेवाओं में भारतीय भाषाओं की बात की थी लेकिन दुर्भाग्य से केवल प्रशासनिक सेवा में अभी भारतीय भाषाओं में परीक्षा शुरू की गई है। बन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, मेडिकल सेवा जैसे लोक प्रशासन में भी सरकार को इस पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत है।



की बजाय बड़ी उम्र के नौजवान, रटने की क्षमता के बूते इन सेवाओं में शामिल हो रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मेधा नहीं। इसलिए प्रशिक्षण को आमूलचूल बदलने की जरूरत है। जब तक उन्हें देश की सच्चाई, उसका भूगोल, उसका समाज, गरीबी परंपराओं से रूबरू व्यावहारिक रूप से नहीं कराया जाएगा, नौकरशाही या अफ़सरशाही असरदायक नहीं बन सकती।

इन प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे योग्य सक्षम संवेदनशील अधिकारियों की तैनाती की जरूरत है जिनके जीवन और प्रशासनिक कार्य से नए प्रशिक्षु प्रेरणा ले सकें, न कि ऐसे लोगों को तैनात किया जाए जो किसी निजी स्वार्थ या नकारात्मक की वजह से वहां हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और राज्यपाल श्री त्रिलोकी नाथ चुरुवेंदी ने प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में कहा था कि जब तक वहां उनके बेतन भत्ते कम थे, वहां ऐसे तथाकथित अयोग्य लोगों को भेजा जाता था। लेकिन जब वहां भत्ते आदि कई गुना बेहतर बढ़ा दिए गए तब भी सच्चे अर्थों में वे लोग तैनात नहीं हो पाए जो बेहतर होते। फिर इन सुविधाओं के लिए दौड़ शुरू हो गई। यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इनको ऐसे सांचे में डालने की जरूरत है जिससे बेर्इमानी से तो बचे ही, सुविधाओं की दौड़ में भी शामिल न हो।

जनता के हित में साहसिक निर्णय भी ले पाए।

नौकरशाही या लोक प्रशासन तंत्र में सुधार के लिए कई बार कमेटी आदि बनी हैं जिनमें महत्वपूर्ण हैं साठ के दशक में संथानम कमेटी तो 90 के दशक में एन एन वोहरा कमेटी। इस बीच राज्य सरकारें भी अपने-अपने ढंग से कदम उठाती रही हैं, जिनका लब्बोलुआब यह है कि सर्वोच्च सेवा के इन अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से कैसे दूर रखा जाए। इनमें बढ़ते भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम रखी जाए। इसलिए छठे केंद्रीय बेतन आयोग की सिफारिशों में लोक सेवकों के बेतन भत्तों में खासी वृद्धि की गई। उसके पीछे तर्क यही था कि यदि लोक सेवकों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहेंगी तो शायद वे भ्रष्टाचार

की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। नई सूचना तकनीक ने भ्रष्टाचार को कम करने में जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1970 के बाद जब सरकारें आईं और वे अपनी मर्जी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस कप्तान की तैनाती और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए दबाव बनाने लगी तो प्रशासन की पकड़ लगातार कमज़ोर होती गई जितना अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा, उतना ही प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया। यहां भी सुधार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी जिससे आईएस, आईपीएस अधिकारियों को काम करने के लिए एक निश्चित 2 वर्ष जैसी अवधि दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा भी की थी। इस पक्ष पर भी दृढ़ता से कार्यान्वयन की जरूरत है। मौजूदा सरकार की इच्छाशक्ति यह बताती है कि वे ऐसे सुधारों के लिए कृत संकल्प है। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है जिसमें देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे कलेक्टर, पुलिस कप्तान आदि को उनके कामों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। जमीन के रिकॉर्ड, सफाई अभियान, मैला ढोने के काम से मुक्ति से लेकर रेलवे में टिकट आरक्षण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य लोक प्रशासन के काम इन अधिकारियों ने नई प्रक्रिया से निभाए हैं और लगातार लोकहित में निभा रहे हैं। वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग फैला था। वहां के कलेक्टर श्री राव ने प्लेग पर तो काबू किया ही सूरत शहर की सफाई और पूरी व्यवस्था बदल कर शहर की सूरत ही बदल डाली। वैसा ही पिछले 3 वर्षों में इंदौर के कलेक्टर ने किया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इस समय इंदौर है। क्या मेट्रोमैन श्रीधरन की लोक प्रशासन में भूमिका लोग भूल सकते हैं! केवल दिल्ली शहर में ही नहीं देश के बाकी शहरों में भी दिल्ली मेट्रो का मॉडल शहरों के लिए अनिवार्य लग रहा है। ऐसे सैकड़ों नौकरशाहों की भूमिका को नकार नहीं सकते।

हाल ही में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है। मंत्रिपरिषद में लोक प्रशासन में सफल कई चेहरे भी शामिल हैं जो इस बात का सबूत है कि भारतीय

प्रशिक्षा की पूरी प्रक्रिया ही ऐसी है जिसमें बहुत कड़ी प्रतियोगिता है और इसलिए कोचिंग संस्थानों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि सहज मेधावी नौजवान सफल होने की बजाय बड़ी उम्र के नौजवान, रटने की क्षमता के बूते इन सेवाओं में शामिल हो रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मेधा नहीं। इसलिए प्रशिक्षण को आमूलचूल बदलने की जरूरत है।

नौकरशाही परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। यदि लोक प्रशासन के शीर्ष नौकरशाही में भर्ती प्रशिक्षण और उसके बाद भी वांछित परिवर्तन किए जाएं तो लोक प्रशासन देश के कायाकल्प में एक क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। नौकरशाही के शीर्ष में यह बदलाव निचले स्तर तक असर पैदा करेगा। लोक प्रशासन में हम सब को यह समझने की जरूरत है कि हम जनता के सेवक हैं उनके हाकिम नहीं, अंग्रेजी काल की औपनिवेशक मानसिकता को ऐसे ही कदमों से बदला जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उससे मौजूदा केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और लोक प्रशासन को लोक हित में बदलने का सबूत भी मिलता है। ■

प्रधानमंत्री की भारतीय एथलीटों के दल से बातचीत



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जुलाई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक तथा विधि मंत्री श्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने एक अनौपचारिक एवं अत्यंत सहज संवाद के दौरान इस अवसर पर उपस्थित समस्त एथलीटों को प्रेरित किया और उनके परिवारों के अमूल्य त्याग के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने दीपिका कुमारी (तीरंदाजी) से बात करते हुए उन्हें विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अद्भुत यात्रा तीरंदाजी के जरिए आम तोड़ने से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने एक खिलाड़ी के रूप में उनकी अब तक की यात्रा के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने अत्यंत कठिन हालात के बावजूद अपने पूर्व निर्धारित पथ पर निरंतर अड़िग रहने के लिए प्रवीण जाधव (तीरंदाजी) की भूरि-भूरि प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार से भी बातचीत की और उनके अथक प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने उनके परिवार के साथ मराठी में बातचीत की।

प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा (जैवलिन थो या भाला फेंक) से बात करते हुए भारतीय सेना में काम करने के उनके अनुभवों के साथ-साथ कुछ समय पहले लगी चोट से उबरने के बारे में


भी उनसे जानकारी ली। श्री मोदी ने इस एथलीट से चिर-परिचित व्यापक अपेक्षाओं के बारे में कुछ भी सोचे बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देने को कहा। श्री मोदी ने दुती चंद (स्प्रिंट) के साथ अपने संवाद की शुरुआत उनके नाम के अर्थ के साथ की जो कि दरअसल ‘चमक’ है। इसके साथ ही श्री मोदी ने उनके खेल कौशल के माध्यम से प्रकाश फैलाने के लिए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने उनसे निडर होकर आगे बढ़ने को कहा क्योंकि पूरा भारत एथलीटों के साथ है। प्रधानमंत्री ने आशीष कुमार (मुक्केबाजी) से पूछा कि उन्होंने आखिरकार बॉक्सिंग को ही क्यों चुना। प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि उन्होंने कोविड-19 और अपने प्रशिक्षण को निरंतर जारी रखने दोनों ही लड़ाई किस तरह से लड़ी। पिता का निधन हो जाने के बावजूद अपने लक्ष्य से न डगमगाने के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी काफी प्रशंसा की। एथलीट ने इससे उबरने के दौरान अपने परिवार और दोस्तों से मिले व्यापक सहयोग को याद किया। श्री मोदी ने उस अवसर को स्मरण किया जब क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने इसी तरह की परिस्थितियों में अपने पिता को खो दिया था और फिर किस तरह से उन्होंने अपने विशिष्ट खेल के माध्यम से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी थी।

प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर मैरी कॉम (मुक्केबाजी) की प्रशंसा की कि वे बहुत सारे एथलीटों की आदर्श हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि मैरी कॉम अपना खेल जारी रखने के साथ-साथ परिवार

की देखभाल कैसे कर पाई, खासकर इस महामारी के दौरान। प्रधानमंत्री ने उनसे उनके पसंदीदा पंच और पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में भी पूछा और उन्हें शुभकामनाएँ दीं। पीवी सिंधु (बैडमिंटन) से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने हैंदराबाद के गांधीबोवली में उनकी प्रैक्टिस के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग में आहार के महत्व के बारे में भी पूछा। प्रधानमंत्री ने पीवी सिंधु के माता-पिता से पूछा कि वे उन माता-पिता को क्या सलाह और सुझाव देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। ओलंपिक में सिंधु की सफलता की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे एथलीटों की वापसी पर उनका स्वागत करेंगे तो वे उनके साथ आइसक्रीम खाएंगे।

प्रधानमंत्री ने इलावेनिल बलारिवन (निशानेबाज़ी) से पूछा कि उन्हें खेल में दिलचस्पी क्यों है। एक व्यक्तिगत मामले में, श्री मोदी ने उस निशानेबाज़ से बातचीत की, जो अहमदाबाद में, गुजराती में पली-बढ़ी थी और उनके माता-पिता को तमिल में बधाई दी और उसके शुरुआती वर्षों को याद किया क्योंकि श्री मोदी उनके क्षेत्र मणिनगर से विधायक थे। उन्होंने पूछा कि वह अपनी पढ़ाई और खेल प्रशिक्षण दोनों में कैसे संतुलन बना पाती हैं।

प्रधानमंत्री ने सौरभ चौधरी (निशानेबाज़) से एकाग्रता और मानसिक संतुलन में सुधार लाने में योग की भूमिका के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अनुभवी खिलाड़ी अचंत शरत कमल (टेबल टेनिस) से पिछले और इस ओलंपिक के बीच अंतर के बारे में पूछा और इस अवसर पर महामारी के प्रभाव के बारे में बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि उनका विशाल अनुभव पूरे दल की मदद करेगा। एक अन्य टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा (टेबल टेनिस) के साथ, प्रधानमंत्री ने गरीब बच्चों को खेल में प्रशिक्षण देने के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने खेलते समय हाथ में तिरंगा पहनने की उनकी प्रथा के बारे में बातचीत की। उन्होंने पूछा कि क्या नृत्य के प्रति उनका जुनून उनके खेल में तनाव घटाने का काम करता है।



प्रधानमंत्री ने पूछा कि विनेश फोगाट (कुश्ती) अपनी पारिवारिक विरासत के कारण बढ़ी हुई उम्मीदों का सामना कैसे करती हैं। प्रधानमंत्री ने उनकी चुनौतियों का जिक्र करते हुए पूछा कि वह उनसे कैसे निपटती हैं। उन्होंने विनेश के पिता से भी बातचीत की और ऐसी शानदार बेटियों को संवारने के तरीकों के बारे में पूछा। उन्होंने साजन प्रकाश (तैराकी) से उनकी गंभीर चोट के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि वे इससे कैसे ठीक हुए।

प्रधानमंत्री ने मनप्रीत सिंह (हॉकी) से बात करते हुए कहा कि उनके साथ बातचीत करने से उन्हें मेजर ध्यानचंद जैसे हाँकी के दिग्जों का स्मरण हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मनप्रीत सिंह की टीम देश की विरासत को जिंदा रखेगी।

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के साथ प्रधानमंत्री ने टेनिस के खेल की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बात की और इस वरिष्ठ खिलाड़ी से उभरते खिलाड़ियों को सलाह देने और अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा। उन्होंने टेनिस के खेल में डबल्स मुकाबलों में अपने साथी के साथ तारतम्यता और समीकरण के बारे में भी उत्सुकता से बात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान खेलों में उनके द्वारा देखे गए बदलावों के बारे में भी पूछा। सानिया मिर्जा ने कहा कि भारत में हाल के वर्षों में आत्मविश्वास देखा जा रहा है और यह खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी दिखाई देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी एथलीटों में एक कॉमन फैक्टर है- डिसिप्लीन, डेढ़ीकेशन और डिटरमिनेशन। उन्होंने कहा कि सभी एथलीट में प्रतिबद्धता और प्रतिस्पर्धा की भावना है। यही गुण, न्यू इंडिया के भी हैं। सभी एथलीट नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे देश के भविष्य का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि सभी एथलीट इस बात के गवाह हैं कि आज देश कैसे अपने प्रत्येक खिलाड़ी के साथ नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ खड़ा है। आपकी प्रेरणा देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एथलीटों को अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलकर खेलने और उन्हें अपने खेल एवं तकनीक में सुधार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए हाल के वर्षों में किए गए विभिन्न बदलावों को भी रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण शिविर लगाने और उन्हें बेहतर उपकरण देने का प्रयास किया गया। आज खिलाड़ियों को ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चूंकि खेल से जुड़ी संस्थाओं ने खिलाड़ियों के सुझावों को प्राथमिकता दी है, इसलिए इतने कम समय में काफी सारे बदलाव हुए हैं। उन्होंने इस बात पर भी खुशी व्यक्त कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है। उन्होंने कहा कि 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' जैसे अभियानों ने इसमें योगदान दिया। भारतीय खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने #Cheer4India की लोकप्रियता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों के पीछे पूरा देश है और सभी देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

अब उपलब्ध है...



प्रकाशन विभाग

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)

तथा


इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च

का प्रकाशन

COVID-19 Pandemic
(History, Science & Society)

Edited by
Dr. Rajni Kant

मूल्य - ₹ 215/-



कोविड-19 पेंडेमिक
(हिस्ट्री, साइंस एंड सोसाइटी)

आज ही नजदीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609

ई-मेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

टिकटर पर फोलो करें @DPD_India



प्रकाशक व मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा
प्रकाशन विभाग के लिए चन्द्र प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. परिसर, लोधो रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल